जनवरी-मार्च 2013
ISSN: 2321-0443

ज्ञान गरिमा सिंधु

अंकः 37

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) भारत सरकार
Commission for Scientific and Technical Terminology
Ministry of Human Resource Development
(Department of Higher Education)
Government of India

ज्ञान गरिमा सिंधु

(त्रैमासिक पत्रिका)

अंक - 37
जनवरी - मार्च 2013

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)
भारत सरकार

5270 HRD/2013—1

© कापीराइट 2013

प्रकाशक :
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग)
भारत सरकार, पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली-110 066

विक्रय हेतु पत्र-व्यवहार का पता :
वैज्ञानिक अधिकारी,
बिक्री एकक,
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग,
नई दिल्ली-110 066
दूरभाष - (011) 26105211
फैक्स - (011) 26102882

बिक्री स्थान :
प्रकाशन नियंत्रक,
प्रकाशन विभाग,
भारत सरकार,
सिविल लाइन्स,
दिल्ली - 110 054

सदस्यता शुल्क :

	भारतीय मुद्रा	विदेशी मुद्रा		
व्यक्तियों/संस्थाओं के लिए प्रति अंक	रु. 14.00	पौंड 1.64	डॉलर	4.84
वार्षिक चंदा	रु. 50.00	पौंड 5.83	डॉलर	18.00
विद्यार्थियों के लिए प्रति अंक	रु. 8.00	पौंड 0.93	डॉलर	10.80
वार्षिक चंदा	रु. 30.00	पौंड 3.50	डॉलर	2.88

पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं।
संपादक मंडल की इनसे सहमति अनिवार्य नहीं है।

संपादन एवं समन्वय

प्रधान संपादक

प्रो. केशरी लाल वर्मा
अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

संपादक

डॉ. प्रेमनारायण शुक्ल
सहायक निदेशक

प्रकाशन

डॉ. धर्मेन्द्र कुमार
सहायक निदेशक

कलाकार

आलोक वाही

कर्मचंद
प्र. श्रे. लि.

अनुक्रम

अध्यक्ष की ओर से			v
संपादकीय			vi
आलेख शीर्षक		**लेखक**	
1.	शिक्षा के सामाजिक लक्ष्य	डॉ. दिनेश मणि	01
2.	मानवाधिकार एवं कन्या भ्रूणहत्या	डॉ. अमिता पांडेय	08
3.	भारतीय परंपरा में गंगा, यमुना और सरस्वती	डॉ. आनंद प्रकाश पांडेय	15
4.	शब्दावली ग्रहण-प्रक्रिया और प्रयोग	प्रो. धर्मदेव तिवारी 'शास्त्री'	26
5.	भारत के धरोहर स्थल	डॉ. सतीश चन्द्र सक्सेना	35
6.	वैदिककालीन शक्तिस्वरूपा नारी	डॉ. नवल किशोर सेठी	41
7.	हिंदी और पंजाबी शब्द-संरचनाओं का व्यतिरेकी विश्लेषण	डॉ. राजेंद्र कुमार पांडेय	46
8.	बाल शोषण के विरुद्ध सक्रिय संस्थाएँ	राधाकांत भारती	57

विविध स्तंभ

- ☐ ज्ञान-चर्चा 66
- ☐ इस अंक के लेखक 73
- ☐ मानक शब्द-भंडार 74
- ☐ लेखकों से अनुरोध 84
- ☐ आयोग के कार्यक्रमों में सहयोजित होने के लिए प्रोफार्मा 87
- ☐ पत्रिका की सदस्यता हेतु ग्राहक/अभिदान फार्म 88
- ☐ हमारे प्रकाशन 89
- ☐ बिक्री संबंधी नियम 98

अध्यक्ष की ओर से

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग अपनी स्थापना के प्रारंभ से ही वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों सहित ज्ञान-विज्ञान के प्रायः सभी क्षेत्रों में मानक शब्दावली-निर्माण का कार्य करता आ रहा है। फलस्वरूप आयोग द्वारा अनेक शब्द-संग्रहों और परिभाषा-कोशों का प्रकाशन किया जा चुका है। ज्ञान की नई-नई शाखाओं का उद्‌भव होता रहता है। आयोग का प्रयास रहता है कि इन नवीन विषयों में यथाशीघ्र शब्दावली का निर्माण हो। इसी क्रम में आयोग द्वारा सूचना प्रौद्‌योगिकी, प्लाज्मा भौतिकी जैसे कई विषयों में हिंदी शब्दावलियाँ प्रकाशित की गई हैं। इसके अतिरिक्त आयोग पाठमालाओं, चयनिकाओं, संदर्भ-ग्रंथों का प्रकाशन भी करता है। आयोग द्वारा निर्मित शब्दावलियों के प्रचार-प्रसार हेतु संगोष्ठी, प्रशिक्षण-कार्यक्रम, कार्यशाला, आदि का आयोजन भी देश के विभिन्न विश्वविद्‌यालयों, संस्थानों आदि में किया जाता है।

आयोग द्वारा विज्ञान एवं तकनीकी विषयों हेतु **'विज्ञान गरिमा सिंधु'** और मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान विषयों में **'ज्ञान गरिमा सिंधु'** नामक दो त्रैमासिक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया जाता है। ज्ञान गरिमा सिंधु का वर्ष 2013 का प्रथम अंक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है जिसमें ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों पर आधारित लेखों का समावेश है। पत्रिका हेतु पाठकों के साथ-साथ, विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर आलेखों की आवश्यकता रहती है। अतः सुधी पाठकों से अनुरोध है कि वे आयोग द्वारा निर्मित तकनीकी शब्दावली का प्रयोग करते हुए आलेख भेजकर राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य में अपना योगदान दें।

(प्रो. केशरी लाल वर्मा)
अध्यक्ष

संपादकीय

जितना जरूरी देश के जन-जन तक शिक्षा का प्रसार है उतना ही जरूरी शिक्षा के माध्यम से मानवीय और सामाजिक मूल्यों का संस्थापन भी है। लेकिन हाल के दशकों में शिक्षा किंचित् लक्ष्यच्युत होकर अधिकाधिक भौतिक उपागम प्राप्त करने का माध्यम बनती जा रही है। इस पृष्ठभूमि में शिक्षा के सामाजिक लक्ष्यों को पुनर्लेखित करता डॉ. दिनेश मणि का निबंध महत्वपूर्ण है। मूल्यों के इस क्षरण का एक दुष्परिणाम स्त्रियों की प्रताड़ना और कन्या भ्रूण हत्या की घटनाओं में देखा जा सकता है। इस विषय पर 'मानवाधिकार एवं कन्या भ्रूणहत्या' शीर्षक डॉ. अमिता पांडेय का आलेख समस्या के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन और उसके निराकरण के उपायों की चर्चा करता है।

नदियाँ जल और जीवन का स्रोत हैं। इसलिए इनके तटों पर सहस्राब्दियों से संस्कृतियाँ विकसित और पल्लवित हुई हैं। जीवन में जल की इसी अनिवार्यता के मद्देनजर डॉ. आनंद प्रकाश पांडेय का देश की प्रमुख नदियों पर केंद्रित 'भारतीय परंपरा में गंगा, यमुना और सरस्वती' शीर्षक आलेख द्रष्टव्य है। नदियों की तरह ही भारत के धरोहर स्थलों पर केंद्रित सतीश चन्द्र सक्सेना का आलेख पठनीय है।

इस अंक से हमने ज्ञान-चर्चा नामक एक नया स्तंभ शुरू किया है, जिसमें ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी रोचक जानकारियाँ शामिल की गई हैं। उम्मीद है कि पाठकों को यह स्तंभ पसंद आएगा। इसके साथ अन्य नियमित स्तंभ और अनेक दूसरे लेख तो हैं ही। पाठकों से अनुरोध है कि हमेशा की तरह पत्रिका को और बेहतर बनाने संबंधी अपने सुझावों से अवगत कराना न भूलें।

(डॉ. प्रेमनारायण शुक्ल)
सहायक निदेशक

शिक्षा के सामाजिक लक्ष्य

डॉ. दिनेश मणि

किसी भी देश की शिक्षा पद्धति उस देश की संस्कृति, परंपराएँ, जीवन दर्शन एवं सामाजिक मूल्यों के अनुसार निर्धारित की जाती है। इन मूल्यों को प्रारंभिक शिक्षा से ही समाहित कर दिया जाता है। प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से बालकों में जो संस्कार, आचरण आदि स्थापित किए जाते हैं, वे उनके व्यक्तित्व में जीवनभर बने रहते हैं। अतः हम देश में जो भी परिवर्तन एवं सामाजिक अपेक्षाएँ चाहते हैं, उन्हें प्रारंभिक शिक्षा में समन्वित कर बिना किसी रक्तपात या हिंसा के, क्रांति रूप में ला सकते हैं।

ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में सतत् हो रहे परिवर्तनों को अनदेखा कर कोई भी शिक्षा प्रणाली अपनी सामाजिक उपयोगिता को जीवंत नहीं बनाए रख सकती। वर्तमान परिस्थितियों में यह नितांत उचित और आवश्यक है कि एक जीवंत प्रणाली के विकास के लिए हम अपनी शिक्षा प्रणाली में निरंतर ऐसे सुधार करते रहें जिससे वह समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके।

शिक्षा की प्रक्रिया युग-सापेक्ष होती है। युग की गति एवं उसमें नए-नए परिवर्तनों के आधार पर प्रत्येक युग में शिक्षा के स्वरूप एवं उद्देश्यों के साथ ही उसकी परिभाषा भी बदल जाती है।

शिक्षा के उद्देश्यों में छात्रों का सर्वतोन्मुखी विकास करना, उनमें अच्छे समाज-सेवी नागरिक की मनोवृत्ति जागृत करना, लोकतांत्रिक समाज में रहन-सहन, सहयोग एवं सुख-शांति की भावना का विकास करना, उन्हें आधुनिक तकनीक से परिचित कराना तथा सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु तैयार करना प्रमुख हैं।

शिक्षा एक ओर राष्ट्रीय आदर्शों का मूलाधार है तो दूसरी ओर वह सभ्यता व संस्कृति की कसौटी भी है। मनुष्य का अधिकांश जीवन समाज में ही व्यतीत होता है। समाज की अपनी आवश्यकताएँ होती हैं। उनकी परंपराएँ एवं प्रथाएँ होती हैं। समाज का अस्तित्व इन्हीं परंपराओं एवं व्यक्तियों की सामाजिक भावना पर निर्भर है। समाज चाहता है कि उसके सभी सदस्य समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते रहें। इसके लिए यह उचित रूप से शिक्षा की व्यवस्था करता है ताकि सदस्यों को कर्तव्यों का ज्ञान कराया जा सके। समाज यह भी चाहता है कि उसकी संस्कृति, परंपराएँ एवं प्रथाएँ बनी रहें। भविष्य में भी समाज की विशेषताएँ सुरक्षित रहें। इसके लिए वह भावी सदस्यों को प्रशिक्षित करता है। इसीलिए नयी पीढ़ी को समुचित शिक्षा देने का प्रबंध करना समाज अपना कर्तव्य समझता है।

व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति की दृष्टि से समाज में सक्षम एवं समर्थ व्यक्तियों का, जो विभिन्न कार्यों को पूरा कर सकें, होना जरूरी है। एक उन्नत समाज की रक्षा के लिए उन्नत किसान, कुशल कारीगर, उच्च वैज्ञानिक, कुशल नियोजक, साहसी सैनिक, चतुर राजनयिक एवं समर्थ नेतृत्व की आवश्यकता होती है। शिक्षा की परिभाषा, संदर्भ और आयाम अब पहले से बदल गए हैं। शिक्षा अब बुद्धि, विद्या और ज्ञान की परिधि से बाहर निकल कर व्यक्ति के जीवन, उसकी आवश्यकताओं और समाज के ढाँचे के साथ जुड़ती जा रही है। आधुनिक युग में शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति का साधन ही नहीं बल्कि जीविका का

आधार भी है। वह व्यक्ति को न केवल जीविकोपार्जन करने बल्कि जीवनयापन के तरीके को बेहतर बनाने में भी मदद करती है।

शिक्षा किसी भी देश की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति का सूचक है, यह कृषि, औद्योगिक विकास, रोजगार, स्वास्थ्य एवं आवास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रतिरक्षा आदि क्षेत्रों को गति प्रदान करती है। व्यक्तित्व के विकास में यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। शिक्षा राष्ट्रीय एकता, चरित्र और मूल्यों का विकास करती है तथा व्यक्ति एवं समाज को युग की चुनौतियों का सामना करने में समर्थ बनाती है। जो समाज अपनी शिक्षा प्रणाली में युगानुरूप परिवर्तन नहीं ला पाए, वे विकास की दौड़ में अन्य समाजों से पीछे रह गए। किसी देश की शिक्षा प्रणाली उसकी सामाजिक-आर्थिक आवश्यक आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। किन्तु यह तभी संभव है जब वह उस देश के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक ढाँचे से जुड़ी हो। ऐसा होने पर ही शिक्षा सामाजिक ढाँचे को बनाए रख सकती है एवं उसमें समयानुकूल परिवर्तनों को उत्प्रेरित कर सकती है।

सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए भौतिक संसाधनों के विकास की अपेक्षा मानवीय संसाधनों का विकास अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि भौतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग विज्ञान और प्राद्योगिकीय ज्ञान के बिना संभव नहीं है। वैज्ञानिक चिंतन के विकास ने हमारे दृष्टिकोण और मूल्यों को आर्थिक युक्तिपरक एवं तर्कसंगत बनाया है, जिससे सामाजिक जीवन में व्याप्त अनेक अंधविश्वासों और आडंबरों से मुक्ति मिली है। मूल्य सामूहिक अनुभव के सारभूत तत्व होते हैं जो व्यक्तित्व को दिशा प्रदान करते हैं और समाज एवं संस्कृति की रक्षा करते हैं। मूल्य हमारे लिए अर्थपूर्ण होते हैं। इन्हें जीवन में उतारने के लिए हमें सतत् प्रयास करना पड़ता है। शिक्षा मूल्यों का निर्धारण नहीं करती। मूल्यों का निर्धारण तो समाज और संस्कृति द्वारा होता है किंतु व्यक्तित्व में मूल्यों के अंतरीकरण को सुगम बनाने के माध्यमों में शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

इस बात पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि शिक्षा मुख्यतः एक साधन है, किंतु इसकी कुछ तात्विक विशेषताएँ हैं। इस बात पर बहुत कुछ निर्भर है कि इस साधन का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। उदाहरण के लिए सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण और प्रसार शिक्षा के प्रमुख कार्यों में से एक है। यह निःसंदेह एक महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि यह समाज को निरतंरता-बोध प्रदान करता है और उसकी जड़ें मजबूत करता है।

ऐसा माना जा रहा है कि नए संदर्भ में शिक्षा एक संतुलित और संगत राष्ट्रीय तथा विश्व व्यवस्था विकसित करने के लिए आवश्यक निवेश होगा। इतिहास के त्वरण और मानवीय संकटों के समाधान के लिए जिनकी बारंबारता, गहनता और जटिलता अधिकाधिक बढ़ती जाएगी– एक छोटे विशिष्ट वर्ग की ही नहीं, बल्कि बहुसंख्यक नागरिकों द्वारा बुद्धिमत्तापूर्ण अंशभागिता की आवश्यकता होगी। ज्ञान की निरंतर वृद्धि, जीवन के तेजी से बदलते हुए संदर्भ और मानव के रहन-सहन के आयामों में होने वाले बार-बार के फेरबदल, शिक्षा के उद्देश्य, उसकी विषय-वस्तु और स्वरूप में परिवर्तन और उसकी प्रौद्योगिकी में होने वाले संशोधन की पुनः परिभाषा को आवश्यक बना देंगे।

इसमें कोई संदेह नहीं कि शिक्षा आधुनिकीकरण का एक सशक्त साधन हो सकती है। प्रत्यक्ष रूप से उसका लक्ष्य ज्ञानवर्धन करना और साथ ही कौशल का विकास करना है और ये दोनों ही आधुनिकीकरण के लक्ष्यों की सिद्धि के लिए आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त इसके कुछ परोक्ष परिणाम भी सामने आते हैं, जैसे मूल्य और दृष्टिकोणों में परिवर्तन। इन दोनों का महत्व भी कम नहीं है। इस प्रकार यदि आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों में शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है तो वह उचित ही है। यह और बात है कि शिक्षा को कितने प्रभावी ढंग से संगठित किया जाता है और उसे कौन-सी दिशा दी जाती है।

शिक्षा दर्शन तथा उसके लक्ष्यों के संबंध में, विशेषतः व्यक्ति तथा समाज के संदर्भ में, गंभीरता से विचार करने के लिए हमें मानव, समाज और ज्ञान के स्वरूप तथा उसके परस्पर संबंधों के बारे में कुछ अवधारणाओं को आधार बनाना होगा। अधिकांश शिक्षा-दर्शनों के अनुसार शिक्षा का चरम लक्ष्य मानव व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास ही रहा है। शिक्षा में आए वर्तमान संकट की जड़ें समकालीन संस्कृति के संकट में निहित हैं। यह संकट उन प्रतिरूपों और संकल्पनाओं के अंतर्विरोधों से उभरता है, जिनसे शिक्षा के चरम लक्ष्य, सिद्धांत और नीति प्रभावित होते हैं। यह सच है कि यदि शिक्षा को सामाजिक दृष्टि से संगत और सार्थक बनाना है तो उसे व्यक्तियों, उनके समुदायों, समाज की आवश्यकताओं तथा समस्याओं से जुड़ना होगा और एक ऐसी न्यायपूर्ण संतुलित विश्व व्यवस्था के निर्माण-प्रश्न पर भी विचार करना होगा, जिसमें मानवता अपनी इच्छा के अनुरूप एक वैकल्पिक भविष्य का निर्माण कर सके।

शिक्षा के लक्ष्यों के संदर्भ में दिए गए औपचारिक वक्तव्यों में उसके तात्विक तथा साधक मूल्यों पर बल दिया जाता है। इस सामान्य वक्तव्य से किसी को कोई गंभीर मतभेद नहीं हो सकता है कि कुछ क्रियाकलाप– नैतिक, सौंदर्यपरक, बौद्धिक और शारीरिक– ऐसे हैं जिनका अपना महत्व है उनके औचित्य-स्थापना की अधिक आवश्यकता भी नहीं है, किंतु इनमें से प्रत्येक क्रिया का उसकी सामाजिक प्रासंगिकता के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाना चाहिए और उसे आवश्यकतानुसार अधिक या कम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शिक्षा का यथार्थ मूल्य उस क्रियाकलाप के स्तर पर निर्भर होता है, जिसको वह प्रोत्साहित करती और आगे बढ़ाती है। साथ ही वह समाज पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी निर्भर होता है। आज के संदर्भ में समानता के प्रश्न का महत्व बहुत बढ़ गया है। समानता की संकल्पना को वास्तविकता से युक्त करने की दिशा में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है।

अक्सर यह बात कही जाती है कि क्या आज की शिक्षा प्रणाली आने वाले कल की समस्याओं का अनुमान लगा सकती है? कौन नहीं चाहेगा कि ऐसे प्रश्नों के उत्तर सकारात्मक हों, किंतु शिक्षा-प्रणाली की न्यूनताएँ स्पष्टतः उभरती आ रही हैं और हमारे मन में यह चिंता बनी रहती है कि यह परिवर्तन की चुनौतियों से जूझने में असफल है। हम बहुधा शिक्षा की कल्पना एक स्वायत्त व्यवस्था के रूप में करते हैं, जबकि वास्तव में यह एक ऐसी व्यवस्था है जो समाज की परिवर्तनशील आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक शक्तियों के अधीन है। हम जानते हैं कि पूर्व निश्चित दिशा में परिवर्तन करने के संबंध में शिक्षा की क्षमता सीमित है। सोद्देश्य सामाजिक क्रिया की सर्वदा प्रधानता रहती है, शिक्षा तो अधिक से अधिक एक समर्थक साधन का काम करती है। दूसरे शब्दों में, शिक्षा परिवर्तन के लिए आवश्यक तो है किंतु उसकी अनिवार्य शर्त नहीं है। शिक्षा की विषयवस्तु और दिशा पर उन सामाजिक शक्तियों का प्रभाव अनिवार्य रूप से पड़ता है जो किसी समय विशेष में क्रियाशील रहती हैं।

कोई भी शिक्षा प्रणाली समाज के नियमों और मान्यताओं से प्रभावित हुए बिना नहीं चल सकती, पर साथ ही उसे कुछ महत्वपूर्ण चयन करना होता है, कुछ नैतिक विकल्प अपनाने होते हैं और एक ऐसे दृष्टिकोण को विकसित करने और ऐसी विषयवस्तु को खोजने का प्रयास करना होता है जिसका लक्ष्य एक "अच्छा मानव" और "अच्छा समाज" बनाना हो। शिक्षा प्रणाली में अंतर्निहित संकल्पनाओं और सिद्धांतों को स्पष्ट और नपी-तुली भाषा में अभिव्यक्ति करना चाहे सदा संभव न हो, किंतु वे उसमें विद्यमान अवश्य रहते हैं। कोई भी व्यक्ति, जो शिक्षा की गुणवत्ता, समाज के विकास और उन्नति के मार्ग पर हुए उसके प्रभाव के बारे में चिंतित है, उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता।

आज का समाज जिन संकटों का सामना कर रहा है, उनकी पुनरावृत्ति, आक्रामकता और तीव्रता बढ़ने की ही संभावना है। जनसंख्या

वृद्धि और संसाधनों के घटने का एक परिणाम यह भी होगा कि समाज को नए तनावों और निराशाओं का सामना करना पड़ेगा। भविष्य की इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सर्वोच्च कोटि के ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होगी। समस्या का समाधान करने की क्षमता न केवल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, बल्कि मानव संबंधों और उनके प्रबंधन क्षेत्र में भी आवश्यक होगी। मानव जाति का भविष्य एक संतुलित और न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था पर निर्भर है। राष्ट्रीय स्तर पर लोभ-लालच और स्वार्थपरता, हिंसा और विनाश को जन्म देती है। शिक्षा को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें अंतरराष्ट्रीय सद्भाव और मेल-मिलाप के सबल कारण सम्मिलित किए जाएँ। वास्तव में शिक्षा की भूमिका तो अनिवार्य रूप से प्रारंभिक और समर्थक होगी, लेकिन इसका महत्व भी इस दृष्टि से है कि यह हमें वैकल्पिक भविष्य की ओर अग्रसर होने में सहायता देती है। समय आ गया है कि हम उस भविष्य के बारे में गंभीरता से विचार करें। भविष्य के समाज की बुनियाद निश्चित रूप से सेवा और बलिदान की भावना पर ही रखी जाएगी। वह उपभोग का महत्व घटाएगी और सामाजिक सेवाओं पर बल देगी। हमें बहुत निष्ठा और स्पष्टता के साथ श्रम और सादगी की ओर जाना होगा। विकास पर विचार करते हुए हमें जीवन के गुणात्मक आयामों पर भी विचार करना होगा और शिक्षा को नए सामाजिक लक्ष्यों के अनुकूल बनाना होगा।

***

मानवाधिकार एवं कन्या भ्रूण-हत्या

डॉ. अमिता पाण्डेय

मानवाधिकार का विचार उतना ही प्राचीन है, जितनी मानव सभ्यता। प्रत्येक समाज का संचालन कुछ नैतिक मापदंडों पर होता है। समाज की निरंतरता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि यदि व्यक्ति इन नैतिक मूल्यों का पालन नहीं करता है तो उसे नियमानुसार दण्ड दिया जाना चाहिए। सामाजिक जीवन की वे दशाएँ जो मानव एवं कानून-सम्मत कार्यों को संपादित करने की पूर्ण स्वतंत्रता दें, मानवाधिकार कहलाती हैं। मानव को प्रकृति द्वारा भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें मानवाधिकार कहा जाता है। प्रत्येक नागरिक के लिए उन्हें सुनिश्चित करना संबंधित सरकार का दायित्व है।

कन्या भ्रूण-हत्या भी मानवाधिकारों का उल्लंघन है। बालिकाओं की वर्तमान स्थिति के अध्ययन से पता चलता है कि जनसंख्या में उनका अनुपात कम है। घटता अनुपात और महिलाओं की असमान स्थिति देश के लिए चिंता का विषय है। जन्म से लेकर पूरे जीवन काल तक महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा ने एक विकराल रूप धारण कर लिया है। कन्या भ्रूण-हत्या, बालिका हत्या, बलात्कार, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा (मारपीट) औरतों ,की खरीद-फरोख्त व वैवाहिक बलात्कार व्यापक रूप से प्रचलित हैं।

भारत में वर्ष 1972 से पूर्व गर्भवती महिला का जीवन बचाने को छोड़कर गर्भपात करना अवैध था। 1964 में गर्भपात कानूनों को लचीला बनाने के लिए शांति लाल शाह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। 1966 में इस समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर 1971 में भारतीय संसद द्वारा चिकित्सकीय गर्भपात अधिनियम बनाया गया जो पूरे देश में एक अप्रैल 1972 से लागू हो गया।

प्रसव-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के अंतर्गत जेनेटिक परामर्श, जेनेटिक लैब, अल्ट्रासोनोग्राफी केंद्र आदि आते हैं। इन जाँचों में गर्भ में केवल गुणसूत्रों संबंधी विकृति, रुधिर कणिका संबंधी रोग, आनुवंशिक उपापचय संबंधी रोग और लिंग संबंधी आनुवंशिक रोग, जन्मजात विकृतियों का परीक्षण भी किया जा सकता है। परंतु अब इसका दुरुपयोग लिंग परीक्षण के लिए किया जाने लगा। गर्भ में कन्या शिशु का पता चलते ही गर्भपात करवा लिया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 0-6 वर्ष तक के बच्चों का लिंगानुपात 950 है। देश में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में स्थिति बहुत ही खराब है। शून्य से चार वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों की मृत्युदर में एक बड़ा हिस्सा लड़कियों का होता है। एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष 1 करोड़ 20 लाख लड़कियों का जन्म होता है जिनमें से प्रतिवर्ष 3 लाख लड़कियों की मृत्यु हो जाती है, जो जीवित बचती हैं उनमें से 25 प्रतिशत लड़कियों की मृत्यु कुपोषण एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में हो जाती है। आवश्यक पौष्टिक एवं संतुलित आहार की कमी के कारण विवाह के बाद महिलाएँ अनेक रोगों की शिकार हो जाती हैं।

भारतीय दंड संहिता की धारा 312 से लेकर 315 में भ्रूण-हत्या रोकने संबंधी विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। धारा 315 में शिशु को जीवित पैदा होने से रोकने या जन्म के पश्चात् उसकी हत्या करने के आशय से किए गए कार्य के संबंध में संबंधित व्यक्ति को 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है।

गर्भावस्था की गंभीर अवस्था में नारी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए गर्भपात का जो कानूनी अधिकार मिला है उसका दुरुपयोग इस प्रकार होगा, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी विधि ा से भ्रूण के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह परीक्षण गर्भस्थ शिशु की शारीरिक विकृति का पता लगाने एवं उसका निदान करने के लिए किया जाता है, परंतु आजकल बहुत से लोग लिंग परीक्षण के लिए इसका प्रयोग करते हैं।

भ्रूण का लिंग परीक्षण एक कानूनी अपराध है। प्रसव-पूर्व भ्रूण परीक्षण के दुरुपयोग को रोकने के लिए सन् 1994 में प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीकी नियमन और दुरुपयोग निवारण अधिनियम, 1994 को एक जनवरी 1996 से लागू किया गया। इसके अनुसार ऐसा करने वाले व्यक्ति के लिए 5 वर्ष की सजा एवं 50,000/– रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पिछली शताब्दी के प्रारंभ में भारत में प्रति हजार पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या 972 थी जो सदी के अंत में घटकर मात्र 927 ही रह गई। 2011 की जनगणना के अनुसार गाँवों में एक हजार पुरुषों पर 920 महिलाएँ है, जबकि शहरों में उनकी संख्या 855 ही है। छह वर्ष तक की आयु के बच्चों में यह अनुपात 921 से घटकर 914 ही रह गया है। सन् 2011 की जनसंख्या के अनुसार गत तीन वर्ष में प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों का अनुपात केवल 866 रह गया है। हरियाणा और पंजाब जैसे समृद्ध राज्यों में ये हत्याएँ बड़े पैमाने पर हुई हैं और आज भी हो रही हैं। आज हरियाणा में प्रति एक हजार पुरुषों पर 877 महिलाएँ हैं पंजाब में भी स्थिति लगभग इतनी ही भयानक है। हरियाणा और पंजाब में ऐसे जिले भी हैं जहाँ यह अनुपात 800 के आस-पास ही है। आगरा का लैगिंक अनुपात उत्तर प्रदेश में नीचे से छठे स्थान पर है। ये जघन्य अपराध उस समाज में हो रहे हैं जहाँ नारी को न केवल सर्वश्रेष्ठ माना जाता है बल्कि जहाँ माँ को देवताओं से भी अधिक पूजनीय माना गया है।

समस्या का मूल कारण

दहेज प्रथा : भारत में विवाह एक महँगा संस्कार तथा सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय है। कन्या पक्ष को दहेज में काफी धन खर्च करना पड़ता है। अतः लोग कन्या के जन्म को बोझ मानते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए समाज में लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। जितना महत्व लड़कों की शिक्षा पर दिया जाता है उतना ही लड़की की शिक्षा पर भी देना चाहिए। लड़कियाँ भी शिक्षित हो कर ऊँचे पदों को सुशोभित करेंगी तो दहेज प्रथा कुछ हद तक कम हो जाएगी। यदि कन्या शिक्षित होगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। इसलिए कन्या को शिक्षित करना अनिवार्य है। तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है।

उत्तराधिकार प्रथा एवं पुराने रीति-रिवाज : सभी जाति एवं वर्गों के रीति-रिवाज और परंपराओं में ऐसी व्यवस्थाएँ हैं जो बालिकाओं के उत्थान में बाधक हैं। केवल पुत्र को ही माता-पिता को मुखाग्नि देने का अधिकार है, कुटुंब का नाम भी पुत्र से ही चलता है, पुत्र ही वंश को आगे बढ़ाता है तथा माता-पिता के वृद्ध हो जाने पर उनकी देख-भाल का अधिकार भी उसी को है।

बेटी है तो कल है क्योंकि बेटी ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। इसीलिए नारी को सृष्टि की श्रेष्ठतम् रचना माना गया है। इस संसार में नारी सुख पुरुष के जीवन का सर्वोत्तम सुख है। नारी को भौतिक सौंदर्य की आत्मा कहा गया है। सुख मानव का एक लक्ष्य है। सुख की ओर निरंतर भागने वाला पुरुष अपने ही इस सुख को समाप्त करने पर तुला है। पुरुष को जन्म देने वाली स्त्री को कोख में ही समाप्त करने के कुत्सित एवं जघन्य अपराध किए जा रहे हैं। कन्या भ्रूण हत्या और नवजात शिशु कन्याओं की हत्या करने का पाशविक कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। देश में लगभग पचास लाख से अधिक कन्या भ्रूणों की हत्या प्रतिवर्ष की जा रही है।

समाधान

कानूनों का पालन कठोरता से हो, इसके लिए सख्ती से कदम उठाए जाएँ। अस्पताल व डाक्टरों पर कड़ी निगरानी हो, क्योंकि यह घृणित कार्य डाक्टरों की सहायता से ही चोरी-छिपे पैसे के लालच से किया जाता है। सिर्फ कानून बनाना पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति स्वयं आगे आकर समाधान की दिशा में सकारात्मक सोच रखें तभी यह समस्या सुलझेगी। कन्या भ्रूण हत्या का कोई नैसर्गिक कारण नहीं है, अपितु यह मानव निर्मित समस्या है। हमारी सामाजिक मान्यताओं ने कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को आम बना दिया है। देश में जन्म व मृत्युदर में कमी लाने के लिए सरकार कई योजनाएँ निरंतर चला रही है, परंतु लिंगानुपात में साम्य स्थापित करने की दिशा में कुछ विशेष प्रगति नहीं हुई है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ने हाल में सभी पंचायतों को ये निर्देश जारी किए हैं कि वे गर्भवती महिलाओं की निगरानी करें ताकि उन्हें कन्या भ्रूण-हत्या जैसे कृत्य से रोका जा सके। इसी निर्देश में ग्राम सभा के सदस्यों को उन एजेंटों के बारे में पुलिस को सूचना देने के लिए भी अधिकृत किया किया है जो कन्या भ्रूण के लिंग निर्धारण से संबंधित परीक्षण कराने में सहायता करते हैं। इसी आदेश के तहत पंचायतों को पृथक् महिला सभाएँ भी गठित करने का निर्देश दिया है। जहाँ जन्म से पहले माँ के स्वास्थ्य, बच्चे के टीकाकरण तथा अन्य संबंधित मुद्दों पर भी बातचीत की जा सके। ऐसे प्रयासों की प्रशंसा की जानी चाहिए। कन्या-भ्रूण-हत्या तथा कन्या-शिशु-हत्या जैसी कुरीतियाँ हमारे समाज में शताब्दियों से प्रचलित रही हैं। ऐसे में उक्त मंत्रालय द्वारा अपनाया गया तरीका इस समस्या का समाधान करने में अधिक प्रभावी साबित हो सकता है।

अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यदि ग्राम पंचायत के संज्ञान में भ्रूण हत्या का मामला लाया जाता है तो ग्राम पंचायत से किस प्रकार की

कार्यवाई की अपेक्षा की जाती है। दूसरी बात यह है कि यदि ग्राम पंचायत के सदस्य स्वयं ही इस कार्य में लिप्त हों तब क्या किया जाएगा? पंचायत गाँव की प्रतिनिधि संस्था होती है लेकिन पंचायत के सदस्य भी इन पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हो सकते हैं।

सरकार को चाहिए कि वह निर्देशों का पालन न करने वाली पंचायतों तथा उन आँगनबाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे जो भ्रूण हत्या के बारे में सही सूचना देने में असमर्थ पाई जाती हैं। परिवर्तन के तौर पर हमें यह प्रयास करना चाहिए कि इस चर्चा में पुरुषों को भी शामिल किया जाए, खासकर गाँवों में जहाँ पुरुष ही परिवार में निर्णयात्मक भूमिका निभाते है।

समय की प्रगति के साथ सामाजिक क्रूर बंधनों से महिलाओं को धीरे-धीरे छुटकारा मिल रहा है। परंतु कन्या भ्रूण-हत्या पर महिला वर्ग को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसकी अनुमति के कोई भी इस प्रकार जघन्य एवं घृणित अपराध नहीं कर सकता। डॉ. मीतू खुराना भारत की पहली महिला हैं, जिन्होंने पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इस प्रकार यदि समाज की सभी महिलाएँ कन्या भ्रूण-हत्या का विरोध करेंगी तभी सही मायने में महिलाओं का सशक्तीकरण होगा।

नई शताब्दी में नारी की सर्वथा एक नयी छवि उभर कर आ रही है। पिछली सदियों में जो बेड़ियाँ उसे जकड़े थी उन्हें तोड़कर वह अपनी नयी पहचान बनाने में जुटी है। भारतीय महिलाओं ने अपनी मेधा से पिछले दो दशक में पूरे विश्व में परचम लहरा दिया है। चाहे वह अंतरिक्ष हो या चिकित्सा का क्षेत्र या फिर फैशन और फिल्म संगीत की दुनिया। कॉरपोरेट जगत से लेकर मीडिया तक अनेक जगह भारतीय महिलाओं ने एक विशिष्ट पहचान बनाई है। अब गाँवों में भी महिलाओं की दशा और दिशा बदल रही है। महिलाओं की इतनी उन्नति के बावजूद समाज में कन्या भ्रूण हत्या जैसा जघन्य अपराध होना अपने आप में शर्म की बात है। एक ओर नारी सशक्तीकरण

का शंखनाद हो रहा है वहीं दूसरी ओर महिलाओं की संख्या में निरंतर कमी आ रही है।

स्त्री एवं पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। परिवार केवल पुरुषों से ही नहीं बनता 'वह स्त्री-पुरुष दोनों के युग्म से बनता है। स्त्री-पुरुष के परस्पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति के कारण परिवारों से समाज बना। स्त्री-पुरुष अनुपात में साम्य सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। लेकिन वर्तमान में भी संपूर्ण भारत की तस्वीर देखें तो यहाँ स्त्रियों की संख्या में निरंतर कमी देखने को मिलती है।

एक वैज्ञानिक खोज के अनुसार प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए एक हजार कन्याओं के पीछे 1020 लड़कों का जन्म होना चाहिए, क्योंकि लड़कियों की अपेक्षा लड़के अधिक मात्रा में काल-कलवित होते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक रजनीश का कहना है कि प्रकृति अपना संतुलन बनाए रखने के लिए एक सौ लड़कियों के जन्म होने पर एक सौ दस लड़कों को जन्म देती है, क्योंकि लड़कों की अपेक्षा लड़कियाँ दीर्घायु होती हैं। प्रकृति के इस संतुलन को बिगाड़ने के साथ ही हम अपने भविष्य को भी असंतुलित करने में लगे हैं। वह दिन दूर नहीं है जब समाज में लड़कियों की इतनी अधिक कमी हो जाएगी कि हमारे पारिवारिक जीवन संकटग्रस्त हो जाएगा। बेटी ही नहीं होगी तो बहू कहाँ से आएगी और माँ बनकर आने वाली संतानों को कौन जन्म देगा?

***

भारतीय परंपरा में गंगा, यमुना और सरस्वती

डॉ. आनन्द प्रकाश पांडेय

पुराणों के अनुसार भारतवर्ष में सात पवित्र नदियाँ हैं जिनके नाम गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु एवं कावेरी हैं।

गंगे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति।
कावेरि नर्मदे सिन्धोर्जलेऽस्मिन्सन्निधिं कुरु।।

इन सातों नदियों में गंगा एवं यमुना का नाम सर्वप्रथम आता है। इन नदियों को कब से पवित्र माना जाता है इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, परंतु गंगा एवं यमुना का नाम प्राचीन वैदिक साहित्य में मिलता है। नदी सूक्त में सर्वप्रथम गंगा का आह्वान किया गया है। ऋग्वेद में "गांगेय" शब्द का उल्लेख किया गया है जिसका अर्थ है गंगा पर वृद्धि प्राप्त करता हुआ। श्रीमद्भागवत पुराण में गंगा को द्युधुनि अथवा द्युनदी कहा गया है जिसका तात्पर्य है कि यह नदी स्वयं देवताओं की नदी है। इसी कारण इसे सुरसरिता व सुरसरि नाम से भी पुकारा जाता है। स्कंद पुराण के काशी खंड में गंगा के सहस्राधिक नामों का उल्लेख है।

पौराणिक साहित्य के अनुसार गंगा हिमवान की पुत्री थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार गंगा को देवताओं ने उनके पिता से अपने लिए मांग लिया था। बांग्ला के कृतवासी रामायण में यह वर्णन मिलता है कि "गंगा" अपनी माता मेनका से बिना आज्ञा लिए देवताओं के साथ चली गई थी जिसके कारण उन्हें यह शाप मिल गया कि "तू जाकर जल में परिणत हो जा" और वह नदी बनकर प्रवाहित होने लगी। तभी से वह देवताओं की नदी कहलाने लगी। प्रारंभ में गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र स्वर्ग तक ही सीमित था। देवता उसमें स्नान का लाभ उठाते थे। इसे पृथ्वी पर उतारने के विषय में राजा भगीरथ की कथा प्रसिद्ध है।

पुराणों व रामायण, महाभारत के अनुसार गंगा सर्वप्रथम भगवान विष्णु के चरणों में निवास करती थी, उसके बाद वह ब्रह्मा के कमंडल में आ बसी और वहाँ से फिर उसने शंकर भगवान की जटा में प्रवेश किया। कालांतर में मर्त्यलोक में एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण शिव की जटा से निकल उसे पृथ्वी लोक में आना पड़ा। पृथ्वी लोक के इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर के साठ सहस्र पुत्र जब उनके अश्वमेघ यज्ञ के छोड़े गए घोड़े को ढूँढ़ते-ढूँढ़ते पाताल लोक में पहुँचे तो वहाँ तपस्या में लीन कपिल मुनि के निकट घोड़े को बँधा देखा। कहा जाता है कि उस समय जब कोई यज्ञ करता था तो इंद के मन में यह भय व्याप्त हो जाता था कि राजा कहीं मेरा इंद्र पद न छीन ले। इसी भय के कारण उन्होंने यज्ञ के घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बाँध दिया था। सगर के पुत्र कपिल मुनि को चोरी का अपराधी समझकर उन्हें मारने के लिए दौड़े। परंतु वे मुनि के क्रुद्ध नेत्रों से निकलने वाली ज्वाला से भस्मीभूत हो गए। उसी सगर कुल के राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या करके अपने पूर्वजों को तारने के लिए गंगा को भूतल पर लाने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और गंगा को प्राप्त करने में कृतकार्य हुए। भगवान शंकर की जटा से निकलकर गंगा भगीरथ के साथ पृथ्वी

लोक के लिए चल पड़ी। गंगा का जब हिमालय से अवतरण हो रहा था तो वह जहनु ऋषि की यज्ञस्थली को बहा ले गई जिससे क्रोधित होकर जहनु ऋषि ने गंगा के प्रवाह को पी डाला। भगीरथ इस नई समस्या को देखकर व्यथित हो गए। उन्होंने प्रार्थना करके जहनु ऋषि को प्रसन्न कर दिया। फिर जहनु ऋषि ने गंगा को अपने कान से बाहर छोड़ दिया। इसीलिए गंगा को जाह्नवी (जहनु की कन्या) भी कहा जाता है। इस प्रकार गंगा ने, भस्मीभूत सगर पुत्रों तक पहुँचकर उनका उद्धार किया। वराह पुराण में गंगा को "गामगता" अर्थात् पृथ्वी पर चली गई के रूप में विवेचित किया गया है। आदित्य पुराण के अनुसार पृथ्वी पर गंगा का अवतरण वैशाख शुक्ल तृतीया को तथा हिमालय से गंगा का निर्गमन ज्येष्ठ शुक्ल दशमी (गंगा दशहरा) को हुआ था। इसको दशहरा इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि मान्यता है कि इस दिन गंगा का स्नान करने से दस पापों का नाश होता है।

इस प्रकार गंगा नदी हिमालय की गंगोत्री से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर से उत्तर प्रदेश, बिहार व बंगाल में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह गोआलंद के पास ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी धारा मेघना से मिल जाती है। इसकी लंबाई लगभग 2,460 किमी है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में यह नदी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

वैदिक वांग्मय एवं धर्मग्रंथों में गंगा की महिमा का वर्णन करते हुए उसे पापनाशिनी और मोक्षदायिनी कहा गया है। गंगा को ब्रह्मा, विष्णु, महेश की प्रतिमूर्ति एवं चारों वेदों का स्वरूप माना जाता है। पद्मपुराण में गंगा को मंदाकिनी के रूप में स्वर्ग में गंगा के रूप में पृथ्वी पर और पाताल में भोगवती के रूप में प्रवाहित होते हुए वर्णित किया गया है।

कूर्मपुराण में कहा गया है कि गंगा पृथ्वी पर मनुष्यों को तारती है, नीचे पाताल लोक में नागों को तारती है और दयुलोक में देवताओं को तारती है। इसीलिए वह त्रिपथगा कही जाती है। (35/30)

क्षितौ तारयते मर्त्यान् नागांस्तारयतेऽप्यधः।
दिवि तारयते देवांस्तेन त्रिपथगा स्मृता।।

मत्स्यपुराण के अनुसार शंकर ने अपनी जटा से गंगा को सात धाराओं में परिवर्तित कर दिया जिसे ह्लादिनी, पावनी, सीता, चक्षुस, सिधुं एवं भगीरथी कहा जाता है। सतयुग में सभी स्थल पवित्र थे, त्रेता में पुष्कर सबसे अधिक पवित्र था, द्वापर में कुरुक्षेत्र एवं कलियुग में गंगा सर्वाधिक पवित्र मानी गई है। कहा जाता है कि कोई सैकड़ों पाप करके भी गंगाजल का अवसिंचन करता है तो गंगा उन दुष्कृत्यों को उसी प्रकार नष्टकर देती है जिस प्रकार अग्नि ईंधन को। मत्स्यपुराण के अनुसार गंगा का नाम लेने से पापी पवित्र हो जाता है, देखने से सौभाग्य प्राप्त करता है तथा जल ग्रहण करने और स्नान करने से सात पीढ़ियों तक कुल पवित्र हो जाता है। गंगा जल मनुष्य की अस्थियों को जितने समय तक स्पर्श करता है उसे उतनी ही अधिक स्वर्ग में प्रसन्नता या प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। विष्णु पुराण में लिखा है कि गंगा का नाम लेने से, सुनने से, उसे देखने से, उसका जल पीने, स्पर्श करने, उसमें स्नान करने तथा सौ योजन से भी गंगा का नाम उच्चरित करने मात्र से मनुष्य के तीन जन्मों तक के पाप नष्ट हो जाते हैं–

योजनानां सहस्रेषु गंगा च स्मरत नरः।
अपि दुष्कृतकर्माऽऽसौ लभते परमां गतिम्।।

मत्स्यपुराण, गरुड़पुराण और पद्मपुराण के अनुसार हरिद्वार और प्रयाग के संगम में स्नान करने पर मनुष्य स्वर्ग पहुँच जाता है और फिर कभी उसका जन्म नहीं होता। मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसी कारण कहा गया है कि "गंगे तव दर्शनात् मुक्तिः" अर्थात् गंगा का दर्शन मात्र ही मोक्षदायक है। भगवत्पाद शंकराचार्य का कथन है कि कलियुग के वे पाप, जो यज्ञ, दान, तप तथा ज्ञान से नष्ट नहीं होते, वे गंगा की पवित्र जल धारा को दर्शन करने से विनष्ट हो जाते

हैं। गंगा शिव स्वरूपिणी और हरिवल्लभा है। कूर्मपुराण में कहा गया है कि गंगा, यमुना और अंतःसलिला सरस्वती के जल में स्नान करने वाले श्रद्धालु को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अत्र स्नार्तवादिवंयान्ति ये मतास्तेऽपुनर्भवाः। विष्णु पुराण में कहा गया है कि सित और असित नदियों का जल देवताओं को भी दुर्लभ है, उनके संगम में स्नान करने वाला व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करता है–

सितासिते सरिच्छ्रेष्ठे यत्रास्तां सुर दुर्लभ।
यत्राप्लुतो नरः पापः परब्रह्माधिकुं गच्छति।।

पद्मपुराण में कहा गया है कि गंगा सभी प्रकार के पतितों का उद्धार कर देती है। परंपरा में ऐसा सुना जाता है कि गंगा में स्नान करते समय व्यक्ति को गंगा के सभी नामों का उच्चारण करना चाहिए। उसे जल तथा मिट्टी लेकर गंगा से याचना करनी चाहिए कि आप मेरे पापों को दूर कर तीनों लोकों का उत्तम मार्ग प्रशस्त करें।

महाभारत के अनुशासन पर्व के 27वें अध्याय में गंगा की विशेष रूप से प्रशंसा की गई है। यदि संसार में गंगा न रहे तो जगत् का अस्तित्व व्यर्थ है–

वर्णाश्रमा यथा सर्वे स्वधर्मज्ञान वर्जिताः।
ऋतवश्च यथा सोमास्तथा गंगा विना जगत्।।
यथाहीनं नमोऽर्केण भूः शैलः खं च वायुना।
तथा दशोदिशश्चैव गंगाहीना न संशयः।।

महाभारत में कहा गया है कि गंगा यशस्विनी वृहती विश्वरूपा है जो सब प्रकार की ऋद्धि सिद्धि को देने वाली है। जिस प्रकार देवताओं के लिए अमृत, पितरों के लिए स्वधा तथा नागों के लिए सुधा है उसी प्रकार मनुष्यों कं लिए गंगा जल है। महाभारत में गंगा को ऊर्जावती और मधुवती भी कहा गया है। इसकी ख्याति नक्षत्रलोक,

द्युलोक और पृथ्वीलोक तक में विस्तृत है–

ख्यातिर्यस्या खं दिवं च नित्यं।
पुरा दिशो विदिशश्चावतस्थे।।

(अनुशासन पर्व 27/60)

अमरकोश में कहा गया है कि गंगा का संबंध विष्णु से है इसीलिए उसे विष्णुपदी कहा गया है। गंगा के अन्य नाम भी अमरकोश में वर्णित हैं–

गंगा विष्णुपदी जह्न तनया सुरनिम्नगा।
भागीरथी त्रिपथगा त्रिस्रोता भीष्म सूरपि।।

(अमरकोश 1/31)

हठयोग में पिंगला नाड़ी को सूर्यनाड़ी तथा गंगा कहा गया है और इड़ा नाड़ी को चंद्र नाड़ी कहा गया है। पिंगला नाड़ी में ही प्राण वायु का संचार होता है। प्राणतत्व ही गंगा तत्व है।

ईशा के 14वीं शताब्दी में यात्रा करने वाले इब्नबतूता के यात्रा विवरण से पता चलता है कि गंगा दर्शन के लिए भारतीय तीर्थयात्रा किया करते थे, उसमें डुबकियाँ लगाते थे और उसमें मृतकों की राख प्रवाहित करते थे। आगे वह कहते हैं कि उस समय के भारतीयों की मान्यता थी कि यह स्वर्गीय नदी है तथा इसमें डुबकी लगाना परमात्मा को प्राप्त कर लेना है।

इस प्रकार गंगा भारतीय संस्कृति की सजीव अभिव्यक्ति है। यह हमारे जीवन से आरंभ से अंत तक जुड़ी है। सभी अवसरों में वह हमारे सुख-दुःख के साथ है। हमारा उसका आत्मीय संबंध है। इसी कारण साधारण जन उसे गंगा मैया के नाम से स्मरण करते हैं।

यमुना माहात्म्य

यमुना भी भारतवर्ष की एक प्रसिद्ध और पवित्र नदी है। विश्व का सबसे ऊँचा जलप्रपात यमुनोत्री में है। इस प्रपात की ऊँचाई 10,289 फीट है। यमुना का प्रवाह उत्तर की ओर होने के कारण इस स्थल को यमुनोत्री कहा जाता है। यमुनोत्री से निःसृत होकर यमुना उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के बीच सीमा रेखा बनाती हुई प्रथमतः दक्षिणामुखी होकर एवं मथुरा के निकट पूर्वाभिमुखी होकर बहती है। शिवालिक क्षेत्र में टोंस नदी आकर इसमें मिलती हैं और मैदानी क्षेत्र में चंबल, बेतवा एवं केन नदियाँ इसमें मिलती है। यह यमुनोत्री से 1,376 किमी (855 मील) की यात्रा करते हुए प्रयागराज में गंगा में समाविष्ट हो जाती है। पुराणों के अनुसार यमुना सूर्य की पुत्री है। कुछ विद्वानों के अनुसार यमुना का अर्थ जुड़वाँ है। उनका मानना है कि गंगा के समांतर प्रवाहित होने के कारण इसका नाम यमुना पड़ा होगा। यमराज इनके सगे भाई हैं। कहा जाता है कि कार्तिक मास की यमद्वितीया के दिन यमुना में स्नान करने वालों को कभी भी इस नदी के भाई यमराज के घर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसकी मुक्ति हो जाती है। इसी कारण इस नदी को देवतुल्य और आराध्य होने की कल्पना की जाती है। यमुना नदी की प्रसिद्धि एवं धार्मिक महत्व का कारण भागवत पुराण में वर्णित श्रीकृष्णावतार की विविध लीलाओं से है। श्रीकृष्ण का जन्म यमुना नदी के तटवर्ती मथुरा नगर में हुआ था और उसी के तट पर बसे गोकुल एवं वृंदावन के क्षेत्रों में उन्होंने अपना बाल्यकाल व्यतीत किया था।

कूर्मपुराण में कहा गया है कि यमुना में स्नान करने तथा इसका जल पीने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर अपने कुल की सात पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। जो यहाँ प्राणों का परित्याग करता है वह परमगति को प्राप्त करता है।

ऋग्वेद में यमुना नदी का वर्णन मिलता है। उनके अनुसार त्रित्सु एवं सुदास ने शत्रुओं के ऊपर यमुनातट पर महान विजय प्राप्त की। अर्थववेद में यमुना के अंजन का उल्लेख त्रिककुद के साथ मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण तथा शतपथ ब्राह्मण के अनुसार भरतों की ख्याति यमुना तट की विजय से हुई थी। यमुना को कालिंदी भी कहा जाता है क्योंकि कलिंद पर्वत के मस्तक से होकर वह हिमालय के पीछे की ओर से कश्यप आश्रम में गई थी। प्रयागराज में यमुना की शोभा अद्वितीय है। यहाँ पर गंगा की वेगवती धारा के कारण यमुना की धारा थम सी गई है पर गहराई बहुत अधिक है। अपनी गहराई, चौड़े पाट, विशाल जल विस्तार के कारण यह सुंदर और मनोरम दृश्य उत्पन्न करती है।

प्रयाग में गंगा एवं यमुना नदी के संगम पर दोनों की धाराएँ अलग–अलग दिखाई देती हैं। इन दो धाराओं के पवित्र संगम पर युगों-युगों से लोग स्नान करके पुण्य लाभ उठाते रहे हैं। गंगा एवं यमुना का भारत के धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। राम और कृष्ण इन्हीं नदियों के किनारे खेले-कूदे। अधिकतर तीर्थ स्थान इन्हीं के किनारे स्थित हैं। प्राचीन ऋषि-मुनियों में से अधिकांश ने इन्हीं नदियों के किनारे अपने आश्रम बसाए थे। बड़े-बड़े साम्राज्य इन्हीं नदियों के किनारे बने और नष्ट हुए। इस प्रकार भारतीय जीवन के हर पहलू में इनका महत्वपूर्ण स्थान है।

सरस्वती माहात्म्य

ऋग्वेद काल में सरस्वती एक महान नदी थी जो पहाड़ों से निकलकर कच्छ में समुद्र में मिलती थी। ऋग्वेद में लगभग 60 ऋचाएँ सरस्वती से संबंधित हैं जिनमें तीस ऋचाओं से अधिक में नदी की महिमा वर्णित है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के तीसरे सूक्त में कहा गया है कि जो सरस्वती नदी रूप के प्रभूत जल को प्रवाहित करती है धी

का प्रचेतन करने वाली वह सरस्वती सभी याजकों को प्रखर बनाती है–

महो अर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विश्व वि राजति।

(ऋग्वेद 1/2/3)

ऋग्वेद के एक अन्य मंत्र में सरस्वती, सरसू और सिंधु को बड़ी नदियों के रूप में स्वीकार किया गया है–

सरस्वती सरसूः सिन्धुरुर्मिमिर्महो महीश्वसायन्तु वक्षणीः

(ऋग्वेद 10/64/9)

ऋग्वेद के मंत्र 10.75.5 में सरस्वती का उल्लेख अन्य नदियों के साथ ही हुआ है–

इमं मे गंगे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं सचता परुष्ण्यो।
असिक्न्यामरुद्वध्धे विस्तायाऽऽर्जीकीये शृणुह्य सुषोमया।।

वेद में सरस्वती का इतना अधिक और व्यापक विवेचन हुआ है कि उसके संबंध में यह निर्णय करना कठिन है कि वह ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है अथवा विशुद्ध नदी। ऋग्वेद में अनेक वर्णन प्रतीक के रूप में भी हुआ है और ज्ञान के प्रतीक के रूप में भी। ज्ञान के प्रतीक के रूप में सरस्वती का आवाहन अन्य देवताओं के साथ किया गया है। देवरूप में सरस्वती के कई उपाख्यान वेद में मिलते हैं। उसका संबंध यज्ञीय देवता इड़ा और भारती के साथ जोड़ा गया है। नदी के रूप में सरस्वती को पार्थिव रूप से ग्रहण किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में सरस्वती को वाक् कहा गया है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती को यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में बहते हुए बताया गया है।

सरस्वती के उद्गम स्थल में काफी मतभेद हैं। उत्तराखंड में बद्रीनाथ से ऊपर एक सरस्वती नदी अलकनंदा में मिलती है। वह

सरस्वती नदी जिस पर्वतीय प्रदेश में बहती है उसका अधिकांश भाग हिम से आच्छादित रहता है। उसके तट पर अनेक आश्रम एवं पावन तीर्थ है। वर्ष 1998 में भूगर्भ वैज्ञानिक वी.एम.के. पुरी ओर बी.सी. वर्मा ने यह निष्कर्ष दिया था कि वैदिक सरस्वती का उद्गम जामादार और सुपिन हिमनदी से, जो नैतवार के निकट आपस में मिलते हैं, हुआ था। सरस्वती पहले दक्षिण-पश्चिमी दिशा में और फिर पश्चिमी दिशा में बहते हुए आद्य बद्री पर शिवालिक को तोड़ते हुए मैदानों में उतरती थी। इस निष्कर्ष की पुष्टि ऋग्वेद की ऋचा इयं शुष्मे-मिर्षि सुखाई वारु जत्सातं गिरिणा.... से भी होती है।

प्रारंभ में ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदी देवता, वाग्देवता और पवित्र नदी के रूप में वर्णित किया गया है। ऋग्वेद का क्षेत्र मुख्यतः सप्तसिंधु का प्रदेश है जो आज का पाकिस्तान और हिंदुस्तान का पंजाब और उसका समीपवर्ती क्षेत्र है। सप्तसिंधु नाम, सात नदियों के कारण पड़ा था। ये नदियाँ थीं सरस्वती, शतद्रु (सतलुज), विपाषा (व्यास), असकिनी (चेनाब), परुष्णी (रावी), वितस्ता (झेलम) और सिंधु। एवेस्ता के स्रोतों में भी इस क्षेत्र का यही नाम था– हप्त हेंदु। हरियाणा और राजस्थान में इसे घग्गर कहते है। यहाँ से यह पाकिस्तान के चोलिस्तान (बहावलपुर) में जाती थी, जहाँ उसे हाकड़ा कहा जाता है। वहाँ से वह दक्षिण की ओर मुड़कर सिंध में बहती थी जहाँ उसे रैनी, वहिंदा और नरारा नाम से जाना जाता था। वहाँ से यह कच्छ में समुद्र में मिलती थी।

प्रारंभ में सरस्वती को देवता माना जाता था। परंतु परवर्ती काल में वह विद्या और कला की अधिष्ठात्री देवी हो गई। पुराणों में सरस्वती को ब्रह्मा की पुत्री माना गया है। ऋग्वेद के दूसरे मंडल में सरस्वती को देवीतमा, अम्बीतमा, नदीतमा, सर्वोत्तम माँ, सर्वोत्तम देवी कहा गया है। उसी में उसे आप्री देवी (यज्ञ में स्थान दिए जाने वाली देवी) भी माना गया है। ऋग्वेद के पहले मंडल में सरस्वती की देवी रूप में स्तुति की गई है–

इला सरस्वती मही तिस्तो देवीर्मयो भवः
बर्हि सीदन्त्व स्निधः

यह एक वेगवती नदी थी। यह भक्तों को पवित्रता, शुद्धि, समृद्धि और शक्ति प्रदान करती थी। इसका संबंध पूषा, इंद्र और मरुत से भी था। इसके किनारे राजा लोग और जन बसते थे, यज्ञ करते थे और मंत्रों का गान करते थे।

गंगा, यमुना एवं सरस्वती के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि प्रयाग में सरस्वती भी अंतःसलिला होकर मिलती है। त्रिवेणी की सीमा के विषय में कहा जाता है कि प्रयाग क्षेत्र में सितासित नदियों के संगम स्थल पर बीस धनुष लंबाई-चौड़ाई का क्षेत्र वेणी या त्रिवेणी कहलाता है। तीर्थ कल्पतरु के अनुसार केवल संगम स्थल ही वेणी है। त्रिस्थली सेतु में बताया गया है कि ब्रह्म तथा पद्मपुराणों के अनुसार त्रिवेणी "ओउम" का मूर्तरूप है। इसके अ.उ. और म क्रमशः सरस्वती, यमुना और गंगा के द्योतक है। इन तीनों नदियों को प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एवं संकर्षण आदि देवों से भी अधिष्ठित माना गया है।

इस वर्णन से स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति की प्रतीक उक्त नदियाँ चिरकाल से जनमानस को मंत्रमुग्ध करती आई हैं। इसकी पवित्र धारा से प्रभावित होकर देश-विदेश से कोटि-कोटि धर्मनिष्ठ प्राणी अनेक विघ्न-बाधाओं का सामना करते हुए बिना निमंत्रण के आते हैं और पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं।

***

शब्दावली ग्रहण-प्रक्रिया और प्रयोग

प्रो. धर्मदेव तिवारी 'शास्त्री'

यहाँ तीन बातों के ऊपर ध्यान दिया गया है– 1. ग्रहण, 2. प्रक्रिया, 3. प्रयोग। उक्त तीनों तत्वों पर विचार करना हमारा प्रमुख लक्ष्य होगा।

1. ग्रहण – पारिभाषिक शब्दावली ग्रहण करते समय अनेकार्थी शब्दों से बचना चाहिए। यह ठीक है कि अनेकार्थक शब्दों का अर्थ – नियंत्रण संयोग आदि के आधार पर किया जाता है, पर यह सिद्धांत पारिभाषिक शब्दावली की अर्थवत्ता ग्रहण करने में सर्वत्र लागू नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी अपनी सीमा है।

शब्दावली निर्माण सर्वभारतीय स्तर पर होना चाहिए और उसमें एकरूपता होनी चाहिए। सच तो यह है कि हिंदीभाषी विद्वान जब हिंदी की वर्तनी, व्याकरण, अनुवाद, पारिभाषिक शब्दावली आदि की समस्याओं पर विचार करते हैं, तब उनके समक्ष पर्याय की सर्वग्राह्यता रहती है।

हम महाजनो येन गतो स पंथाः अर्थात् हम लीक से हटकर चलने के लिए न तो तैयार हैं और न उसके प्रति आग्रही। हम उसके ग्रहण के प्रति पूर्णतः उदासीन हैं। हम पुरातन मार्ग पर चलने के अभ्यस्त हैं। हमारे सामने जब कोई नया शब्द आता है तब आश्चर्यचकित

हो चौंक पड़ते हैं। हम ग्रहण के प्रति जब तक सहानुभूतिशील नहीं होंगे, तब तक ग्रहण करने में समर्थ नहीं होंगे। इसके लिए उदार होना आवश्यक है।

विश्व में जो औद्योगिक क्रांति आई, वह हमारे यहाँ भी आई अवश्य, पर कुछ अंतर से। जापान, रूस, चीन आदि देशों में वहाँ की भाषा के माध्यम से उक्त क्रांति आई, किंतु हमारे यहाँ वह अंग्रेजी के माध्यम से आई, क्योंकि हम भाषा-प्रयोग के प्रति द्वंद्वात्मक स्थिति में थे और आज भी हैं। जब तक हम उसे अपनी भाषा में ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक उसका पूरा लाभ नहीं उठा सकते। जापान आदि देशों ने अपनी भाषा में औद्योगिक क्रांति को ग्रहण किया और विश्व बाज़ार में छा गए। आज वे विकसित हैं और हम विकासशील। यह सत्य है कि हम जब तक अपनी भाषा में उसे ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक पूर्ण विकसित नहीं हो सकेंगे।

भाषाविद् आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा ने 1962-63 में पारिभाषिक शब्दावली की समस्या पर विचार करते हुए कहा था, "अनुमान किया जाता है कि आधुनिक ज्ञान प्रायः 600 (छह सौ) शाखाओं में विभक्त है। इन सभी शाखाओं में प्रयुक्त शब्दों की संख्या बीस लाख मानी जाती है। बाइबिल में चार हजार आठ सौ; मिल्टन साहित्य में आठ हजार और शेक्सपीयर साहित्य में पंद्रह हजार; चेम्बर शब्दकोश में एक लाख दस हजार शब्द हैं। इन आँकड़ों को ध्यान में रखकर आप बीस लाख पर विचार कीजिए। बुद्धि हतप्रभ हो जाती है।"

यह सर्वविदित सिद्धांत है कि प्रत्येक समुन्नत तथा आर्थिक दृष्टि से शक्तिमान व्यक्ति जिस प्रकार से ऋण अवश्य लेता है, उसी प्रकार प्रत्येक जीवित भाषा दूसरी भाषा से शब्द ग्रहण करती है। यों मेरा मंतव्य है कि शब्द ब्रह्म होते हैं, वे निराकार होते हैं। जो जीवित भाषा अपने प्रत्यय से उसे प्रयोग योग्य बनाती है, शब्द उसी के हो जाते हैं। यों भाषाविदों ने ऐतिहासिक दृष्टि से शब्द का विभाजन किया

है, जिसमें विदेशी शब्द को भी स्थान दिया गया है। इतना होते हुए यह स्वीकार किया गया है दूसरी भाषा से शब्द-ग्रहण से अभिव्यक्ति के साधन में वृद्धि होती है और स्पष्टता आती है। अतः ग्रहण का सिद्धांत पूर्णतः सही है।

अब प्रश्न है कि ग्रहण की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? इसके लिए तीन संभावनाएँ हो सकती हैं–

1. लाखों पारिभाषिक शब्दों को यथारूप ग्रहण कर लें।

2. पारिभाषिक शब्दों का अनुकूलन करें। यथा, एकेडमी का अकादमी, अरिस्टोटल का अरस्तु।

3. पारिभाषिक शब्दावली के लिए नए शब्दों का निर्माण करें।

उक्त तीनों संभावनाओं को अंशतः ग्रहण किया गया। विभिन्न ज्ञान - शाखाओं के अति प्रचलित शब्दों को यथावत् ग्रहण किया गया है। यथा, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, इंजन, बल्ब, नट इत्यादि। पर इससे हमारा काम आसान नहीं हो पाता। अतः हमने निर्माण मार्ग को प्रशस्त करने का निर्णय लिया।

विश्व की चार भाषाएँ निर्माण कार्य के लिए पर्याप्त सुलभ हैं, वे हैं– संस्कृत, चीनी, ग्रीक और लैटिन। इनमें संस्कृत सर्वाधिक संपन्न और समृद्ध भाषा है। उसके उपसर्ग अर्थ वैविध्य की दृष्टि से बहुत समर्थ हैं। यथा, हृ + अ = हार निर्मित हुआ। इसके साथ भिन्न-भिन्न उपसर्गों को जोड़कर भिन्न-भिन्न अर्थबोध किए जाते हैं। यथा, प्रहार, आहार, संहार, उपहार, निहार, विहार और परिहार आदि। इसी प्रकार ई + अ = अय इससे आय, व्यय, समय उदय, अन्वय, प्रत्यय, उपाय। इसी प्रकार प्रत्ययों के योग से भी अर्थभेद होते हैं। संस्कृत में निर्माण की क्षमता-शक्ति को विश्व के भाषाविद् एक स्वर से स्वीकार करते हैं।

उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से उन शब्दों को संकलित करने की भी आवश्यकता है, जिनका प्रयोग श्रमिक-

मजदूर वर्ग करता है क्योंकि आभिजात्य वर्ग ने अरबी-फारसी तथा अंग्रेजी के शब्दों को ग्रहण किया अवश्य, किंतु मजदूर वर्ग ने अपने कार्य-संपादन हेतु नए शब्दों का निर्माण किया। उन शब्दों के संकलन से भी हमारी समस्या का बहुत कुछ निदान हो सकता है, साथ ही भावात्मक एकता भी मजबूत होगी। जब हम प्रयोग पर विचार करते हैं, तो यह बात स्पष्ट होती है कि पारिभाषिक शब्दावली के प्रयोग के लिए तीन बातें विचारणीय हैं–

पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग सर्वसाधारण या आम जनता के लिए नहीं होता है क्योंकि यह किसी-न-किसी ज्ञान-शाखा के पारिभाषिक शब्द हैं, न कि दैनिक जीवन में सर्वसाधारण के प्रयोग के लिए हैं। दैनिक जीवन में बिस्कुट, चाकलेट, गिलास, सिगरेट, बक्स, ट्रंक, टिकट, डॉक्टर, लालटेन, कंपनी, नर्स, कंपाउण्डर, स्टेशन, स्कूल मास्टर, रजिस्टर, जज, वकील, खर्च, मुनाफा, आमदनी, सर्विस इत्यादि सैकड़ों शब्द हैं। ये हमारे जीवन से इस तरह जुड़ गए हैं कि उन्हें निकालना न केवल कठिन और दुष्कर होगा, बल्कि हास्यास्पद भी होगा। पारिभाषिक शब्दावली इनसे सर्वथा भिन्न हैं, जिनका प्रयोग विशिष्ट ज्ञानार्थी ही करते हैं। पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग पर विचार करते हुए सर्वसाधारण व्यक्ति द्वारा किए गए आक्षेप के आधार पर आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा ने कहा है– "नए शब्द बड़े कठिन, कठोर और भयंकर बन रहे हैं, यह आक्रोश व्यक्त करने के पहले सोचना चाहिए कि वे किसके लिए बन रहे हैं। आपके लिए पानी के लिए अंग्रेजी पर्याय वाटर है, किंतु डॉक्टर के लिए अक्वा (Aqua) है, जो लैटिन है। फलतः ज्ञान-शाखा से संबद्ध पारिभाषिक शब्द होते हैं। अतः जन साधारण को उसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। आज भी हम डॉक्टर के नुस्खे को पढ़ने-समझने में असमर्थ होते हैं, फिर भारतीय भाषा के शब्दों के प्रति आक्रोश क्यों? वस्तुतः हम में सहनशीलता का अभाव है। इसलिए भाषा-प्रेम नहीं है। व्याकरण पढ़ने

वालों के लिए 'ने' का प्रयोग, लिंग की समस्या, कृदंत तद्धित, संधि-समास आदि पारिभाषिक शब्दों के विषय में ज्ञान रहना आवश्यक है, सर्वसाधारण के लिए नहीं। आचार्य शर्मा ने फिर कहा है– "हम यह क्यों मान लेते हैं कि जितने भी शब्द बन रहे हैं, उनका भार एक हमें ही ढोना है। स्पष्ट है कि पारिभाषिक शब्दावली न तो सबके लिए है, न बहुसंख्यकों के लिए ही, बल्कि उन इने-गिने व्यक्तियों के लिए है, जो ज्ञान की किसी एक शाखा में विशेषता या प्रवीणता प्राप्त करने के इच्छुक हैं।" कोई भी व्यक्ति न तो सर्वज्ञ हुआ है और न होने की संभावना है। अतः समस्त विषयों के शब्दों से हम कदापि परिचित नहीं हो सकते। पारिभाषिक शब्दावली के भारतीय भाषा के पर्याय को देखकर न चौंकने की आवश्यकता है और उनके प्रति असंतोष व्यक्त करने की। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि पारिभाषिक शब्दावली सबके लिए नहीं है। अंग्रेजी साहित्य का पंडित भौतिकी या आयुर्विज्ञान के शब्दों का अर्थ नहीं समझ सकता है। हर व्यक्ति अपने विषय का ही ज्ञानी या जानकार हो सकता है।

आज हम संक्रांति काल में हैं। आज जो भी निर्मित हो रहा है, वह भविष्य के लिए हो रहा है। हमारा वर्तमान जा रहा है। हमने उसके साथ अभियोजित किया है, पर आनेवाली पीढ़ी उसका ठीक से उपयोग करे– यह भावना निहित रहती है। आचार्य शर्मा ने ठीक ही कहा है– "हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो शब्दावली तैयार की जा रही है, वह केवल इस पीढ़ी के लिए नहीं, बल्कि आनेवाली पीढ़ियों के लिए भी है।" अंग्रेजी से वर्तमान पीढ़ी मोहग्रस्त है, किंतु आनेवाली पीढ़ियाँ भारतीय भाषाओं के प्रति अधिक सचेष्ट रहेंगी और भारतीय भाषाओं का प्रयोग अंग्रेजी के स्थान पर करेंगी। उनके लिए इन पारिभाषिक शब्दों का निर्माण आवश्यक है। वही उसकी उपयोगिता है। आज धीरे-धीरे पाठ्य पुस्तकों में शब्दावलियों का प्रयोग होने लगा है। आज नई पीढ़ी हिंदी बहुत आसानी से सीख रही है। इस

दिशा में दूरदर्शन के विभिन्न धारावाहिक कार्यक्रमों, सिनेमा, मजदूर वर्ग इत्यादि के द्वारा अभूत पूर्व कार्य किए जा रहे हैं। इनसे यह आशा की जाएगी कि आगामी पीढ़ी भारतीय भाषाओं का प्रयोग करने में अपना गौरव बोध करेगी।

आज की जो स्थिति है, वह कुछेक अंग्रेजीदाँ लोगों के हाथों में है, जो भारतीय भाषाओं के प्रयोग से न केवल कतराते हैं, बल्कि उसके प्रति हेय प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। इसलिए वर्तमान समय में भारतीय भाषाओं के प्रति जो अनास्था देखी जा रही है, उससे निराशा का जन्म होना अस्वाभाविक नहीं माना जाएगा। यहाँ गौरतलब है कि क्या अंग्रेजी का व्यवहार इस देश में स्वतः हो गया? क्या जनसाधारण ने उसे स्वतः अपना लिया? क्या उसकी विशेषताओं से पूरा देश स्वतः परिचित हो गया? क्या उसकी लिपि की अवैज्ञानिकता, देशवासियों को कठिन नहीं लगी? ऐसा क्यों और कैसे हुआ? यह विचारणीय प्रश्न है। वस्तुतः अंग्रेजों ने अपने हितसाधन हेतु हिंदी सीखी और तदनुकूल कार्य किए, जिससे हिंदी का हित हुआ अवश्य, पर इसके साथ ही वे भारतीयों को अंग्रेजी सिखाने के प्रयास करते रहे। अंततः 1835 ई. में मैकाले के सिद्धांत से भारतीयों को अंग्रेजी पढ़ने के लिए बाध्य होना पड़ा और हमारे ऊपर अंग्रेजी थोपने का सफल प्रयास होने लगा। उसके बाद उसने घोषणा की कि भविष्य में भारत के लोग रूप-रंग से तो भारतीय रहेंगे, पर दिल-दिमाग से वे अंग्रेजियत के दास बने रहेंगे। यह भविष्यवाणी आज पूर्णतः सत्य प्रतीत हो रही है। दूसरी बात यह है कि अंग्रेजी को राज्याश्रय प्राप्त हो गया जब कोई भाषा नौकरी-पेशा से संबद्ध हो जाती है, तब उसके प्रति जनसाधारण की रुचि स्वतः बढ़ जाती है और प्रत्येक अभिभावक अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए बाध्य हो जाता है। आज स्वतंत्रता के बाद भी हम उसी राह पर चल रहे हैं, जिस पर अंग्रेजों ने चलने के लिए बाध्य किया था।

आज भी प्रयोग की समस्या बहुत जटिल है। केवल शब्दावली का निर्माण कर देना पर्याप्त नहीं है, उनका प्रयोग होने में ही उसकी सार्थकता है। शब्दों के प्रयोग से उसमें अर्थबोध कराने की क्षमता आती है और वे सजीव बने रहते हैं। अन्यथा वे कोशों में पड़े-पड़े अर्थहीन, अभिव्यक्तिविहीन तथा अर्थ-बोध कराने में पूर्णतः असमर्थ हो जाएंगे। वस्तुतः जो निर्माण करता है, वह उसका दर्द समझता है, क्योंकि पीड़ा के बिना कोई भी निर्माण नहीं होता। यह सृष्टि का नियम है। जिन विद्वानों ने अथक परिश्रम कर एक-एक शब्द पर विचार-विमर्श, चिंतन-मनन कर शब्दों को सही रूप दिया है, उसके पीछे उनके अपरिमेय श्रम को भुलाया नहीं जा सकता। प्रयोग हेतु तैयार करने के बाद प्रयोग की विधि, नियम बनाना चाहिए था और समाज को उन्हें ग्रहण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए था। इस दिशा में आयोग निस्संदेह अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, पर उसकी निष्ठा, ईमानदारी, मेहनत पूरी तरह से सार्थक नहीं हो रही है– ऐसा मेरा मानना है। इसके कारणों पर थोड़ा विचार कर लेना अप्रासंगिक नहीं होगा।

आयोग मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत है। मंत्रालय के आदेशों के अनुसार वह अपना कार्य करता है। प्रयोग हेतु प्रयोक्ताओं को जागरूक करने के लिए देश के विभिन्न अंचलों में संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं माना जाएगा, पर जब तक समाज उसके प्रति पूरी तरह जागरूक नहीं होगा, तब तक हमें पूर्ण सफलता नहीं मिल सकती। निर्मित मानक शब्दों का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित बातों पर भी ध्यान देना चाहिए –

(क) सभी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग अनिवार्य हो।

(ख) विभिन्न ज्ञान-शाखाओं के विद्वानों से हिंदी में पाठ्य पुस्तकें लिखवाई जाए।

(ग) सरकार ने पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण करवाया, पर वही उसका समुचित रूप से प्रयोग नहीं कर रही है।

(घ) भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। अभिव्यक्ति के लिए ही भाषा सीखी जाती है। यदि हमारी अभिव्यक्ति सहज रूप से ग्राह्य हो रही है, तो हमें दूसरी भाषा अपनाने की आवश्यकता नहीं।

(ङ) आज विज्ञापन की लिपि रोमन हो गई है और बड़े-बड़े उद्योग घराने और बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भी अपने विज्ञापनों में रोमन लिपि का प्रयोग कर रही हैं।

(च) भाषा-प्रयोग के लिए यह आवश्यक है कि वह रोजगार-परक, रोजगारोन्मुख तथा राज्याश्रित हो। खेद का विषय है कि हमारी सरकार ने हिंदी के विकास के लिए तो कार्य किया है अवश्य, पर उसके प्रयोग को लेकर वह उदासीन ही रही है, साथ ही उसे रोज़गार से भी नहीं जोड़ा। इसलिए उसके प्रयोग में वह गति नहीं आई जो आनी चाहिए थी। हम दूसरे की माता की पूजा विधिपूर्वक करते हैं, पर अपनी माता को हेयदृष्टि से देखते हैं और उसके प्रयोग से कतराते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है हिंदी भाषी प्रांतों से समस्त संबंधवाची शब्दों का लोप हो जाना और उनकी जगह पर अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करना।

(छ) आज हिंदी की वर्तनी रोमन लिपि के अनुसार लिखी जा रही है। इसके तहत हमारे पूज्य, सम्मानित, ऐतिहासिक और ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के नामों को उद्धृत किया जा सकता है– कृष्ण-कृष्णा; राम-रामा; नरसिंह-नरसिम्हा/नरसिंघा, अशोक-अशोका; गुप्त-गुप्ता; मिश्र-मिश्रा; शुक्ल-शुक्ला; यादव-यादवा; मौर्य-मौर्या; सूर्य-सूर्या; मानव-मानवा; हिमालय-हिमालया; विद्यालय-विद्यालया; केरल-केरला; आंध्र-आंध्रा; महाराष्ट्र-महाराष्ट्रा; कर्नाटक-कर्नाटका इत्यादि। हमारे हिंदी समाचार वाचकों के समक्ष केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र आदि

लिखा रहता है अवश्य, पर वे उसका उच्चारण केरला आदि करते हैं। तर्क यह दिया जाता है कि उक्त शब्दों को जब रोमन लिपि में लिखा जाता है, तब अंत में 'ए' (a) वर्ण आता है, जिसके कारण 'आ' का उच्चारण होता है। ऐसे रोमन लिपि के अधिवक्ता से हम पूछना चाहते हैं कि क्या रोमन के 'ए' वर्ण का उच्चारण 'आ' निर्धारित है? यदि हाँ, तो कमल/भरत आदि शब्द का रोमन लिपि में कैसे लिप्यंतरण होगा? सच तो यह है 'ए' का उच्चारण निश्चित नहीं है, आवश्यकतानुसार उसका उच्चारण 'ए', 'आ', 'ऐ' होते रहते हैं। यथा– मन, मान, मौन। फिर हिंदी के शब्दों-संज्ञाओं आदि के उच्चारण में मदहोशी क्यों? ये उच्चारण हिंदीभाषी हो करते हैं, दूसरे नहीं। बंगाल, असम में, मिश्र, दंत, मित्र इत्यादि प्रचलित हैं। इनका उच्चारण वे अकारांत करते हैं, हिंदीभाषी आकारांत। सच तो यह है कि हिंदीभाषी-अत्याधुनिक आभिजात्य वर्ग में पहुँच बनाने के लिए अपनी भाषा-लिपि को बिगाड़ते जा रहे हैं। हमें अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए स्वयं सकारात्मक रूप से सक्रिय होना होगा तभी हम अपना समाज, प्रदेश और देश का हित साधन कर पाएंगे।

***

भारत के धरोहर स्थल

डॉ. सतीश चन्द्र सक्सेना

भारत एक विशाल देश है जिसकी जनसंख्या इस समय लगभग 123 करोड़ है। यहाँ के नागरिकों के विभिन्न प्रदेशों में रीति-रिवाज, खान-पान, रहन-सहन परिधान (पहनावा) वेश-भूषा, संस्कारों और भाषाओं में विभिन्नताएँ पाई जाती हैं। यहाँ विभिन्न संप्रदायों के लोग रहते हैं। संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है क्योंकि 50 प्रतिशत से अधिक लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। इसके अतिरिक्त 1,600 से अधिक बोलियाँ प्रचलित हैं जो थोड़ी-थोड़ी दूर पर बदल जाती हैं।

सबसे विचित्र बात यह है कि हमारे देश में जलवायु संबंधी और भौगोलिक विषमताएँ बहुत अधिक हैं। इन सब विषमताओं के बावजूद यहाँ विभिन्नता में एकता पाई जाती है और हम सब अपने आप को भारतीय कहने में गर्व का अनुभव करते हैं। इस आलेख में देश में व्याप्त भौगोलिक और जलवायु संबंधी विषमताओं तथा कुछ अल्प ज्ञात राष्ट्रीय और वैश्विक धरोहरों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।

हमारे देश में सर्वाधिक तेज चलने वाले पवन, सर्वाधिक संक्षारक स्थान, शुष्कतम प्रदेश, शीततम प्रदेश, लगभग जनविहीन क्षेत्र, सर्वाधिक जनसंख्या वाले और सबसे प्रदूषित स्थल हैं। स्पष्ट है कि

प्रत्येक स्थल की अपनी विशिष्टताएँ और परेशानियाँ हैं। इन सबके बावजूद लोग सामान्यतः अपना घर छोड़कर दूसरे स्थान पर नहीं जाना चाहते। अपना घर अपना ही होता है जहाँ लोग पीढ़ियों और दशकों से रह रहे होते हैं, उसे छोड़ना पसंद नहीं करते। अपने घर से लगाव हो जाता है।

कहा जाता है कि करोड़ों वर्ष पहले गोंडवाना भूमि का एक भाग अलग होकर उत्तर की ओर खिसक गया जो एशिया से टकराया और टिथीज (ग्रीक शब्द) सागर को समाप्त करके शीर्ष पर बलयित हो गया जिसके फलस्वरूप विश्व की उच्चतम पर्वत श्रृंखला हिमालय की उत्पत्ति हुई। इसकी पूर्वी परिधि पर चक्रवातीय खाड़ी बनी जो बंगाल की खाड़ी कहलाती है। पश्चिमी तट पर अपेक्षाकृत शांत अरब सागर बना।

जब स्वतः इस उपमहाद्वीप का सृजन इतना नाटकीय रहा हो तो इस प्राचीन भू-भाग, भारत में विलक्षणताओं का पाया जाना स्वाभाविक है। हिमालय की उत्पत्ति से भू-वैज्ञानिकों के अनुसार विचित्र मानसून प्रतिरूप विकसित हुआ जिसके अंतर्गत पूर्व की ओर सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र बने। पवनों के समांतर स्थित प्राचीन अरावली के कारण पश्चिमी किनारों पर मानसून नहीं पहुँच पाया जिसके फलस्वरूप वह क्षेत्र विस्तृत थार रेगिस्तान में परिणत हो गया जिसकी विशेषता यह है कि इसमें हरियाली का सर्वथा अभाव है। यहाँ बहुत कम भूमिगत जल है इस कारण यह क्षेत्र शुष्कतम है। इस उपमहाद्वीप में हिमालय के कारण ताप कुल मिलाकर संगत और संतुलित रहता है। परंतु, देश के उत्तरी भाग को केंद्रीय एशिया की ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ता है जिसके कारण कुछ स्थल, विश्व के शीततम क्षेत्रों जैसे हैं। भारत का भौगोलिक उच्चावच (Geographical relief) कुछ इस प्रकार का है कि यहाँ प्रत्येक प्रकार की चरम अवस्थाएँ देखने को मिलती हैं।

कुछ ऐसे मैदानी क्षेत्र हैं जहाँ ग्रीष्म ऋतु में तापमान 50° से. तक पहुँच जाता है। अगर हम शीत ऋतु की बात करें तो कश्मीर का द्रास क्षेत्र, साईबेरिया के बाद विश्व का शीततम क्षेत्र है जो आबाद है जहाँ सर्दियों का तापमान– 45° से. तक पहुँच जाता है। यहाँ 1995 की सर्दियों में ताप 60° से. तक पहुँच गया था।

मध्यप्रदेश के भोपाल से लगभग 60 किमी की दूरी पर भीमबेटका की गुफाओं में प्राचीनतम पेन्टिंग्स के रूप में मानव छाप पाई गई जाती है। यहाँ की गुफाएँ कैनवस पर नवपाषाणी (Neolithic) मानव कला का नमूना न होकर इनमें मानव के विकास के विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। यहाँ के स्तूपों और क्षेत्र आश्रयों के अवशेषों में बुद्धकालीन प्रभाव झलकता है। यहाँ देवी का एक मंदिर है। कहा जाता है इसे पांडवों ने अपने निर्वासन के समय बनवाया था जहाँ लोग अभी भी पूजा-अर्चना करते हैं। वर्ष 2003 में भीमबेटका को विश्व धरोहर घोषित किया गया।

विशाल ब्रह्मपुत्र नदी असम से होकर बहती है और पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलती है। यहाँ फैलकर यह विश्व का सबसे विस्तृत सुंदरवन डेल्टा बनाती है। यहाँ विश्व के विस्तृत लवण उद्भिद (Halophytic) मैनग्रूव वन हैं। संयोगवश ब्रह्मपुत्र अपने साथ विश्व की सभी नदियों की तुलना में अपने साथ सबसे अधिक गाद बहाकर लाती है। प्रत्येक मानसून में गाद के साथ उफनती ब्रह्मपुत्र नदी अपने किनारे तोड़कर बाढ़ का कारण बनती है जिससे भयंकर तबाही होती है। इस तबाही से विवश होकर सुविदित गायक भूपेन हजरिका को यह पंक्ति लिखना पड़ी "बोरालोहित तुमि बुआ क्यों" अर्थात ब्रह्मपुत्र तुम क्यों बहती हो? यह नदी विश्व का सबसे विशाल नदी तटीय द्वीप माजूली बनाती है। नदी के प्रकोप से लोग इतने डरे हुए हैं कि नदी पर पुल बनाने का किसी ने भी साहस नहीं किया। इस द्वीप तक पहुँचने के लिए नौका ही उपलब्ध है जिसकी सेवा सूर्यास्त से पर्याप्त पहले बंद कर दी जाती है।

यदि पूर्व में विस्तृत सुंदरवन है तो पश्चिम में लगभग उतने ही अक्षांश पर बिल्कुल भिन्न दृश्य देखने को मिलता है। जहाँ "रन ऑफ कच्छ" का लवणीय मरूस्थल और सरक्रीक स्थित है। इन स्थलों पर रेगिस्तान की सतह पर रेत की संरचनाओं में कई बार परिवर्तन होता है।

जलगत कृषि

जल के अंदर कृषि केरल में देखने को मिलता है। लगभग दो शताब्दी पहले वेमबनद (Vambanad) झील और पंबा नदी के पश्च जल के क्षेत्र का पुनरुद्धार किया गया था। यह क्षेत्र बहुत मनोहारी है। जहाँ धान के लहलहाते हुए खेत सूर्य की रोशनी में चमकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए धूल भरी सड़कों से नहीं अपितु एक संकरी भू-पट्टी से होकर जाना पड़ता है जिसके दोनों ओर पंक्तिबद्ध नारियल के पेड़, इस स्थान को अत्यधिक मनोहारी बना देते हैं। समुद्र तल से नीचे धान के खेत हैं। किसान दो फसलें बोते हैं। धान के खेतों की सिंचाई, निर्मित बंध पर बने एक विशेष तंत्र के द्वारा की जाती है जिससे बाँध से पानी की निकासी धीरे-धीरे होती है। धान की कटाई के बाद किसान, बंध के पानी से खेतों को भर देते हैं, और मछलियों के प्रजनन को प्रोत्साहित करते हैं। जब धान की बुआई का समय आता है, पानी को अपवाहित कर दिया आता है, मछलियाँ समाप्त कर दी जाती हैं और यह क्रम चलता रहता है।

किंवदंती है कि पांडवों के निर्वासन के समय कुट्टनाड का इलाका सघन जंगल था। बहुत पहले जंगल जल गया और उसके अवशेष भूमिगत कोयला निक्षेप के रूप में अभी भी हैं। हाल ही में, इन खेतों को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (UNFAO) ने वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि धरोहर तंत्र के रूप में मान्यता दी है। ऐसा तंत्र एक चयनित तंत्र का सदस्य है जिसकी सदस्यता विश्व के अद्वितीय तंत्रों को ही मिलती है।

वापी (गुजरात) में, एक सर्वेक्षण के अनुसार वायु, जल और मृदा में घातक कैंसर जन मिश्रित जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

राजस्थान का जैसलमेर, जिला अत्यंत शुष्क है जहाँ वार्षिक औसत वर्षा मात्र 16.4 सेमी है। राजस्थान का ही मैदानी अतिउष्ण क्षेत्र चुरु है जहाँ दिन का अधिकतम ताप 50° से. तक पहुँच जाता है। शीत ऋतु में सबसे ठंडा मैदानी जिला भी चुरु है जहाँ न्यूनतम ताप 0° से. से भी नीचे चला जाता है।

इसके विपरीत देश के पूर्वी क्षेत्र में मासिनरम (Mawsynrom) नामक स्थान पर सबसे अधिक वर्षा 2600 सेमी होती जिसका "गीनिज़ बुक ऑफ रिकार्ड्स" में पहला स्थान है।

लद्दाख में शीततम स्थान पर जाते समय सबसे तिमिर (अंधेरा) आकाश देखने को मिलता है। यहाँ का उच्चतांश उच्च, प्रदूषण अल्प और आकाश मेघहीन है जो वेधशाला (Observatory) के लिए सबसे उपयुक्त है।

मिर्जापुर से होकर गुजरने वाला रेखांश भारतीय मानक समय अंकित करता है। यहाँ एक घंटाघर है जिसे राष्ट्र का समयपाल कहा जा सकता है। विडंबना यह है कि यह घड़ी वर्षों से बंद है जिसे ठीक कराने की किसी ने चिंता नहीं की।

वर्षों तक रामेश्वरम, भारत में विश्व का दूसरा सबसे संक्षारक स्थल (Corrosive site) कहा जाता रहा है। हाल ही में केंद्रीय वैद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान ने संक्षारण मानचित्र पुनः तैयार किया और श्री हरिकोटा को सबसे अधिक क्षारक क्षेत्र और इसके बाद चेन्नै बंदरगाह को संक्षारक स्थल बताया। यह जानकारी हमारे अंतरिक्ष मिशन के लिए बहुत अहम है।

सबसे तेज पवनवेग वाले स्थल का तब तक कोई सरकारी रिकार्ड उपलब्ध नहीं था जब तक कि चेन्नै में स्थित पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना नहीं हुई थी। यहाँ के वैज्ञानिक पवन क्षेत्र को पहचानने के लिए विभिन्न क्षेत्रों की पवन चाल को मापते हैं।

उनके अध्ययन से पता चला कि केरल का रम्मकलमेडु (Ramakkal medu) सबसे तेज पवन वाला क्षेत्र है।

दुर्भाग्यवश ऐसे चरम स्थानों का समुचित रिकार्ड नहीं रखा जाता। कभी-कभी विशिष्ट विचित्रता वाले स्थान के 3-4 तक दावेदार होते हैं। वैसे तो यह बुरी बात नहीं है परंतु विडंबना यह है कि जब दर्शक, पर्यटक या पत्रकार इन स्थानों का भ्रमण करते हैं तो उनकी देखभाल या पर्यवेक्षण करने वाले कर्मचारी या अधिकारी का रवैया सहायक न हो कर अत्यंत उपेक्षापूर्ण होता है। कहीं-कहीं जंग लगे नोटिस बोर्ड लगे तो होते हैं किंतु वहाँ ऐसे सर्वप्रथम (एक्स फेक्टर) वाले स्थलों के बारे में अंकित जानकारी भी स्पष्ट नहीं होती।

उपयुक्त वर्णित स्थलों में से एक-दो को छोड़ कर शेष भारत के पर्यटक मानचित्र पर भी नहीं हैं। कुछ साहसिक पर्यटक या पत्रकार जब इन स्थानों को देखने को जाते हैं तो सामान्य सुख-सुविधाओं, परिवहन व्यवस्था तथा भोजन-आवास आदि का अभाव होने के कारण उन्हें घोर निराशा होती है। इस आलेख में कुछ ऐसे अपेक्षाकृत कम ज्ञात स्थलों का वर्णन किया गया है जो हमारे देश की प्राकृतिक या मानव निर्मित धरोहर हैं। इनमें से कुछ को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। यह विवरण स्वतः पूर्ण न होकर मात्र उदाहरण स्वरूप है जो पाठकों के समक्ष एक छोटी सी झलक प्रस्तुत करता है।

***

वैदिककालीन शक्तिस्वरूपा नारी

डॉ. नवल किशोर सेठी

संस्कृत में ज्ञानार्थक विद् धातु से घञ् प्रत्यय का योग करने पर 'वेद' शब्द निष्पन्न होता है। वेद का पर्यायवाची ज्ञान होता है। हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों ने अपनी तपोसाधना, अभ्यास से जो भी ज्ञान प्राप्त किया था वह वेद ग्रंथों में संग्रहीत है। आचार्य सायण वेद के सर्वप्रामाणिक और सर्वमान्य भाष्यकार हैं। इन्होंने वेद शब्द की व्याख्या करते हुए तैत्तरीय संहिता भाष्य भूमिका में लिखा है–

इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलौकिकमुपायं यो ग्रन्थो वेदयति स वेदः

अर्थात् संसार में जो ग्रंथ इष्ट की प्राप्ति के लिए और अनिष्ट के निवारण के लिए अलौकिक उपायों का मार्गदर्शन करता है वह वेद कहलाता है।

वेद चार हैं– ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यद्यपि वेदों की प्रसिद्धि वेदत्रयी से है। वस्तुतः वेदत्रयी अथवा त्रयी का अभिप्राय वेदों में वर्णित तीन विद्याओं से है। इनको ऋग्विद्या अथवा ऋचा या विविध ज्ञान की विद्या, यजुर्विद्या अथवा यजुष् या व्यापक कर्म की विद्या तथा सामविद्या अथवा साम या उपासना की विद्या कहा गया है।

वेद संपूर्ण ज्ञान के कोश हैं, इनमें सभी विषयों से संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है। मनु ने एक ओर जहाँ 'वेदोऽखिलो धर्ममूलम्' का उद्घोष

करके इसे शिष्टाचार युक्त मनुष्य को धर्मों, कर्तव्यों को मूल बताया है, वहीं यह भी कहा गया है कि चारों वर्गों, चारों आश्रमों, तीनों लोकों और भूत, भविष्य तथा वर्तमान तीनों कालों के संबंध में सब कुछ वेद से सिद्ध होता है–

चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक्।
भूतं भव्यं भविष्यच्च सर्व वेदात्प्रसिध्यति।।

(मनुस्मृति-12/97)

वैदिक कालीन नारी

भारतीय नारी, मूर्तिमान तपस्या है। उसका जीवन सतत् प्रज्ज्वलित हवन कुण्ड है, जो मृत्यु के पश्चात ही शांत होता है। नारी सृष्टि का केंद्र है, क्योंकि नारी के द्वारा ही सृष्टि का क्रम चलता है। नारी पुरुष की प्रेरणा है, भारतीय संस्कृति की पावन परंपरा में नारी को सदैव सम्माननीय स्थान प्राप्त हुआ है। नारी प्रेम, दया, त्याग एवं श्रद्धा की प्रतिमूर्ति है और ये आदर्श मानव जीवन के उच्चतम आदर्श हैं।

वैदिक वांग्मय के मनन से ज्ञात होता है कि आर्यों के जीवन और समाज में नारी का स्थान विशिष्ट था। घर में उसकी प्रतिष्ठा गृहलक्ष्मी के रूप में थी, तो समाज में शक्ति स्वरूपा नारी पूजनीय थी। नारी धारण करने वाली और वृद्धि करने वाली शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित थी। कहीं पत्नी, कहीं माता, कहीं कन्या के नाम से नारी शक्ति की महत्ता को स्थापित किया गया और विघटनकारी तत्वों की वृद्धि को रोककर रखा गया। आर्य परिवार का यह मूल्यवान तथ्य है। वैदिक काल में नारी को सामान्य सम्मान के ही योग्य नहीं माना गया, अपितु उसे अदिति, अधिष्ठात्री, अखंडशक्ति की संज्ञा दी गई। निम्न मंत्र में वाक् रूप में नारी कहती है–

अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः।
यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्मणं तृमृषिं तं सुमेधाम्।।

(ऋग्वेद-10/125/5)

अर्थात् मैं स्वयं राष्ट्र शक्ति हूँ। जिसको मैं चाहती हूँ, उसे ऋषि बना देती हूँ उसे ब्रह्मा और सुबुद्धियुक्त बना देती हूँ। वेद नारी में अतुल्य शक्ति को स्वीकार करता है। उसमें अपनी क्षमताओं के विस्तार करने की पूर्ण सामर्थ्य है। वैदिक काल में स्त्रियाँ मूँज की मेखला धारण करती थीं। ब्रह्मचर्याश्रम का पालन करते हुए अध्ययन करती थीं। वे अध्यापन कार्य भी करती थीं–

पुराकल्पे तु नारीणां मौन्जीबन्धनमिष्यते।
अध्यापनं वेदानां सावित्रीवचनं तथा।।

(स्मृतिचंद्रिका-संस्कार काण्ड-पृ.सं. 62)

ऋग्वैदिक काल में नारी का सर्वाधिक प्रतिष्ठित रूप गृहिणी का था। उसे गृहास्थाश्रम की देवी भी कहा गया था।

गृहिणी गृहमुच्यते।

(ऋग्वेद-3/53/4)

उसे पति का श्रेष्ठ सखा माना गया था। पत्नी ने ही त्याग बलिदान व प्रेम के बल से इस धरती को नष्ट होने से, नरक बनने से बचाए रखा और सदा उन्नति की ओर बढ़ने में अंतहीन सहारा दिया। यह काल नारी के बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उत्थान का काल था जिसका परिणाम थी– घोषा, अपाला जैसी नारियाँ जो समाज के दैदीप्यमान नक्षत्रों के समान थीं और समाज में अपना विशिष्ट स्थान रखती थीं।

विधवा विवाह का अधिकार वैदिक सिद्धांतों की उदात्त दिखाता है। निम्न मंत्र में मृत पति के पास बैठी हुई स्त्री को संबोधित करते हुए कहा गया है–

उदीर्ष्व नार्यभि जीवलोकं गतासुमेनमुप शेष एहि।
हस्तग्राभस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमभि सं बभूथा।।

(ऋग्वेद-10/18/8)

अर्थात हे नारी! तू इस प्राणहीन पति के पास बैठी हुई है, उठ और जीवित व्यक्तियों के मध्य आ। तेरे पाणिग्रहण को तैयार यह तेरा

दूसरा पति है। तुम दोनों विवाह में संयुक्त हो जाओ।

उत्तर वैदिक काल में नारी की स्थिति में परिवर्तन का क्रम आरंभ हो गया। उसके पत्नी व माता रूप को तत्कालीन आर्यों ने पुत्र से कम महत्व दिया। स्त्री के पत्नी स्वरूप के लिए ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा गया कि पत्नी की प्राप्ति से ही पुरुष में पूर्णता आती है–

तस्मात् पुरुषों जाया वित्वा कृत्स्नतरमिवात्मानं मन्यते।।

(अथर्ववेद-14/1/22)

आर्य पुरुषों के मत से पत्नी घर में सास, ससुर, देवर, ननदों पर शासन करने वाली साम्राज्ञी बनकर आती है–

सम्राज्ञी श्वशुरे भव सम्राज्ञी श्वश्रूवां भव।
ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधिदेवेषु।।

(अथर्ववेद-14/1/22)

ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश के लिए स्त्री का निषेध नहीं किया गया है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के द्वारा ही स्त्री युवक पति को प्राप्त करती है–

ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्।।

(वही-11/5/18)

वेदों में स्त्री को पूर्ण अधिकार दिया गया है। इसलिए उसे ऋग्वेद में घर कहा गया है।

जायेदस्तम्।

पत्नी संतान को उत्पन्न करती है, उसका निर्माण करती है। वह पति की पूर्णता है। पति उसके बिना अपूर्ण है। इसलिए (ऐतरेय ब्राह्मण में) कहा गया है कि पुरुष पत्नी को प्राप्त करके अपने आप को अधिक पूर्ण समझता है।

इस प्रकार वेदों में स्त्री को उच्च स्थान पर बैठाया गया है। स्त्री समाज व परिवार की आधारस्तंभ है। उसके बिना समाज का निर्माण नहीं हो सकता है।

वैदिक समाज में नारी को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। वह वेद पढ़ती थी, धार्मिक कार्यों में पुरुषों के साथ भाग लेती थी। उसे पुरुष

के समान अधिकार प्राप्त थे। उसे पत्नी, माता, पुत्री, बहन आदि सभी रूपों में उचित अधिकार व सम्मान प्राप्त था।

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि नारी ने स्वतंत्र भारत में जो प्रगति की है उससे नारी की महत्ता में वृद्धि हुई है, किंतु नारी को वैदिक युग में जो सम्मान व प्रतिष्ठा प्राप्त थी, वह आधुनिक प्रगतिशील नारी को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

***

हिंदी और पंजाबी शब्द-संरचनाओं का व्यतिरेकी विश्लेषण

डॉ. राजेन्द्र कुमार पांडेय

'व्यतिरेक' शब्द संस्कृत की 'रिच' धातु से बना है। इस धातु का अर्थ है– 'अलग करना'। 'रिच' के पूर्व 'वि' (विशेष) तथा 'अति' (अत्यधिक) उपसर्ग और अंत में भाववाचक प्रत्यय 'धञ' जोड़ने से 'व्यतिरेक' (वि+अति+रिच्+धञ) शब्द बनता है तथा इसका अर्थ है 'विरोध' या 'असमानता'। इस प्रकार व्यतिरेक का अर्थ है 'विरोध' या 'असमानता'। व्यतिरेक से ही व्यतिरेकी शब्द बना है, जिसका अर्थ हुआ 'विरोध या असमानता दिखाने वाला'। इसी अर्थ में 'व्यतिरेकी' शब्द को हिंदी में अंग्रेजी के 'कंट्रास्टीव' का समानार्थी माना जाता है।

दो भाषाओं की समानताओं और असमानताओं का अध्ययन करने वाली भाषा विज्ञान की शाखा को व्यतिरेकी भाषा विज्ञान (कंट्रास्टीव लिंग्विस्टिक्स) कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इसमें दो भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन विकास के आधार पर न होकर संरचना के आधार पर किया गया है। भाषिक विकास के आधार पर की गई तुलना ऐतिहासिक भाषा विज्ञान कहलाती है। दो भाषाओं की तुलना समस्रोत तथा विषमस्रोत दोनों के आधार पर की जा सकती है। व्यतिरेकी विश्लेषण करते समय दो भाषाओं की संरचनाओं में विद्यमान

संरचनात्मक समानताओं और असमानताओं का विभिन्न स्तरों पर तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यह तुलना निम्नलिखित स्तरों पर हो सकती है :–

(क) ध्वनि स्तर (ख) पर स्तर
(ग) वाक्य स्तर (घ) लिपि स्तर
(ङ) सांस्कृतिक व्यवहार

सैद्धांतिक पृष्ठभूमि

प्राग संप्रदाय के अधिष्ठाता मैथेसियस का ध्यान सर्वप्रथम व्यतिरेकी अध्ययन की ओर गया। उन्होंने 1930 के आसपास यह विचार किया कि किसी भी भाषा की व्यवस्था को गहराई से जानने के लिए, अन्य भाषाओं से उसकी तुलना तथा समानताओं और असमानताओं का पता लगाना उपयोगी होता है। 1940 के आस-पास अमरीका के मिशिगन विश्वविद्यालय के इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट ने अन्य भाषा-भाषियों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए पाठ्य-सामग्री निर्मित करना शुरू किया। इस क्रम में लोगों का ध्यान व्यतिरेकी विश्लेषण की ओर गया। 1945 में फ्राईज ने एक पुस्तिका (टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश ऐज फॉरन लैंग्वेज) प्रकाशित की जिसका उद्देश्य उस भाषा वैज्ञानिक दृष्टि को स्पष्ट करना जिसके आधार पर सामग्री का निर्माण हुआ था तथा उसी आधार पर शिक्षण-पद्धति विकसित करना था। फ्राईज कहते हैं– "ऐसा वयस्क जो अपनी भाषा जानता है कोई दूसरी भाषा थोड़े समय में ही सीख सकता है, यदि उसमें सीखने की पूरी लगन हो तथा अच्छी सामग्री के आधार पर अध्यापक उसे पढ़ाए। सबसे अच्छी सामग्री वह है जो मातृभाषा तथा सिखाई जाने वाली भाषा के वैज्ञानिक वर्णनों की तुलना पर आधारित हो।" 1953 में वाइन राइक ने अपनी पुस्तक 'लैंग्वेजेज इन कंटैक्ट' में तथा उसी वर्ष हेगेन ने 'द नार्वेजियन लैंग्वेज इन अमरीका' में व्यतिरेकी अध्ययन की ओर संकेत किया। 1957 में लाडो ने अपनी पुस्तक–'लिंग्विस्टिक्स एक्रॉस कल्चर्स' में व्यतिरेकी भाषा विज्ञान को सैद्धांतिक और व्यावहारिक, दोनों ही दृष्टियों से ठोस स्वरूप प्रदान किया। इस पुस्तक में पहली बार ध्वनि-व्यवस्था, व्याकरणिक संरचना, शब्द भंडार तथा लेखन-व्यवस्था आदि की दृष्टि से व्यतिरेकी विश्लेषण किया गया। सी.ए. फर्गुसन के नेतृत्व में 1959 में व्यतिरेकी संरचना माला का सूत्रपात हुआ, जिसमें विदेशी भाषाओं के बीच समानताओं और असमानताओं का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया। वाशिंगटन के जार्जटाउन विश्वविद्यालय में 1968 में व्यतिरेकी भाषा विज्ञान और भाषा शिक्षण में उसकी सार्थकता पर एक गोष्ठी आयोजित की गई। 1969 में एक अंतरराष्ट्रीय गोष्ठी कैम्ब्रिज में आयोजित हुई जिसमें व्यतिरेकी भाषा विज्ञान पर एक सत्र था। बाद में सी. निकेल के संपादकत्व में 1971 में कुछ पत्र प्रकाशित हुए। भारत में भी केंद्रीय हिंदी संस्थान, अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा केंद्र तथा कतिपय विश्वविद्यालय में इस विषय पर कार्य किए गए।

भाषा-व्याघात के स्तर

वाइनराइख (1953) ने 'भाषा-व्याघात' उसकी विभिन्न विशेषताओं, भेदों-उपभेदों का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है। उन्होंने भाषा में विभिन्न स्तरों पर होने वाले 'भाषा-व्याघात' की विस्तार से चर्चा की है। उनका मानना था कि दो भाषाओं के संपर्क में 'भाषा-व्याघात' उत्पन्न होता है तथा दो संस्कृतियों के निकट संपर्क से आने से 'सांस्कृतिक व्याघात' उत्पन्न होता है। यह व्याघात हिंदी के चाचा, ताऊ, मामा, मौसा आदि रिश्ते-नाते के अनेक शब्दों के स्थान पर अंग्रेजी में एक ही 'अंकल' शब्द के प्रयोग में दिखाई देता है। अंग्रेजी-भाषी के लिए हिंदी के इतने अधिक रिश्ते-नाते के शब्दों को सीखने में कठिनाई का होना स्वाभाविक है। इस प्रकार का व्याघात सांस्कृतिक व्याघात है। वाइन राइख के अनुसार भाषा के निम्नलिखित तीन प्रमुख भेद हैं–

(क) स्वनिक व्याघात (ख) व्याकरणिक व्याघात
(ग) शब्द स्तर पर कोशीय व्याघात

इन्हीं आधारों पर यहाँ पंजाबी और हिंदी व्याघात को प्रदर्शित किया जा रहा है।

स्वनिक व्याघात

हिंदी और पंजाबी दोनों भारतीय आर्य भाषाएँ हैं। इस प्रकार दोनों ही भाषाएँ सजातीय हैं। दोनों भाषाओं में 100 प्रतिशत तादात्म्य है। फिर भी संरचना, शब्दावली और लिपियों में अंतर है। कुछ लिपि चिह्न लगभग समान भी हैं जैसे हिं.ग.–पं.ग.। दोनों का विकास अलग-अलग ढंग से हुआ है। दोनों की पहचान भी अलग है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है तथा यह पंजाब की सरकारी भाषा है। पंजाबी भाषा की कतिपय स्वनिक विशेषताएँ इस प्रकार हैं–

(क) पंजाबी में व्यंजन गुच्छ टूट गए हैं। दो व्यंजनों के बीच स्वरागम हो गया है। शब्दों के आदि, मध्य तथा अंत में व्यंजन गुच्छों का अभाव है–

CC - → CVC - Pr- → Par - प्रार्थना-पराथना

(ख) कहीं-कहीं महाप्राण ध्वनियों का भी ह्रास हो गया है–

-CC - → - C - - ndh -→ - n - अंधेरा–अनेरा

(ग) दो व्यंजनों के बीच स्वरागम

-CC → - CVC - rm → ram

गर्म – गरम

उम्र – उमर

(घ) मध्य में व्यंजन-गुच्छ मिलते हैं, परंतु सरलीकृत होकर छोटे रह जाते हैं–

-CCC - → - CC - - ndr → - nd

चंद्रमा – चंदरमा

मंत्री – मंतरी

(ङ) हिंदी में एकांतरिक शब्दों में तीन स्वनिम हैं, जबकि पंजाबी में अक्षर छोटे हो गए हैं–

- CVC	→	- CV
चाय	→	चा
मुँह	→	मुँ
पाव	→	पा

(च) पंजाबी में द्वपारिक शब्द एकाक्षरिक हो गए हैं–

- CVCV	→	- CV
हवा	→	वा
- CV, CVC	→	- CVCV
कपास	→	कपा
- CVCVCVC	→	CVCVC
तपेदिक	→	तपेदी

(छ) दीर्घ स्वर ह्रस्व में बदलकर द्वितीय हो गए हैं–

पीपल	→	पिपल
नीम	→	निम
बादल	→	बद्दल
आगे	→	अग्गे

(ज) स्वरों के मध्य 'ह' का लोप हो गया है–

VhV	→	V-V
लोहा	→	लोआ
मलहम	→	मलम
नहाना	→	नाना

शब्द के स्तर पर व्याघात

अधिकांश शब्द हिंदी व पंजाबी में अर्थ की दृष्टि से तो समान हैं किंतु वर्तनी की दृष्टि से भिन्न हैं। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के हिंदी पंजाबी शब्दों में इस प्रकार के विभेद दिखाई पड़ते हैं–

हिंदी	पंजाबी
उम्र	उमर
ग्यारह	गिआरा
चौदह	चौदा
त्यौहार	तिउहार
प्यार	पिआर

हिंदी और पंजाबी में आंशिक विभेद भी दिखाई देता है–

अध्यापक	अधिआपक
तरह	तरोह
बहन	भैण

पंजाबी में द्वित्व दर्शाने के लिए चिह्न तथा नासिक्य ध्वनि के लिए चिह्न प्रयुक्त होता है–

भूखे → भूँके

स्वतंत्र → सुतँतर

पंजाबी भाषी हिंदी लिखते समय गुरुमुखी लिपि के प्रभाव से भी बच नहीं पाते–

इलाज → इ्लाज

दूसरा → दसरा

एकता → ऐकता

दो → दे

हिंदी में ढ़ और ढ दो भिन्न ध्वनियाँ हैं पंजाबी में केवल ढ ध्वनि है। छात्र पंजाबी के प्रभाव से ढ़ के स्थान पर ढ ही उच्चरित करते हैं जिसका प्रभाव लेखन पर पड़ता है–

पढ़ी → पड्ही

अनपढ़ → अनपड्ह

पंजाबी भाषी हमेशा 'ण' और 'न' के उच्चारण में गलती करते हैं–

पूर्ण → पूरन

प्रवीण → परवीन

गुणकारी → गुनकारी

किसान → किसाण

खोना → खोणा

'ब' तथा 'व' ध्वनि प्रयोग में व्याघात दिखलाई पड़ता है–

किताबें → कितावाँ

बहुत → भौत

बाजार → बजार

आठवीं → अँठबी

जीवन → जीबन

'श' तथा 'स' ध्वनि के उच्चारण में भी व्याघात दिखाई देता है–

खुशी → खुसी

किसान → किशान

शस्त्र → शसतर

सहायता → शहाइता

'छ' तथा 'श' के प्रयोग में भी व्याघात होता है–

छठी → शेबी (छेवीं)

छोटा → शुटा

पूँछ → पूँश

पंजाबी में महाप्राण तथा अल्पप्राण ध्वनियों के बीच भी व्याघात दिखाई पड़ता है–

खोना → कोना

लिखित → लिकित

लेख → लेक

घबराना → गबराना

अभी → अबी

भइया → बहिआ

भरपूर → बरपूर

छठी → छट्टी

वाक्य स्तर पर व्याघात

संरचना के धरातल पर वाक्य में दो घटक माने जाते हैं– उद्देश्य (कर्ता) तथा विधेय (क्रिया)। उद्देश्य और विधेय के योग से ही वाक्य संरचना के स्तर पर पूर्ण होता है तथा किसी भाव या विचार को व्यक्त कर पाता है। हिंदी और पंजाबी की वाक्य संरचनाओं पर भी यही बात लागू होती है। हिंदी और पंजाबी में निम्नलिखित साधारण काल बनते हैं–

(क) संभाव्य भविष्यत (ख) आज्ञार्थक
(ग) भविष्यत काल (घ) संभाव्य वर्तमान

(क) संभाव्य भविष्यत

हिंदी	पंजाबी
मैं चलूँ	मैं चलाँ
तू चले	तूँ चलें
वह चले	ओ चले
हम चलें	असीं चलीए
आप चलें	तुसीं चलो/चलिओ
वे चले	ओ चलण

(ख) आज्ञार्थक

हिंदी	पंजाबी
तू चल	तूँ चल
तुम चलो/आप चलिए	तुसीं चलो/चालिओ

(ग) भविष्यत

मैं चलूँगा/गी	मैं चलाँगा/गी
तू चलेगा/गी	तूँ चलेंगा/गी
वह चलेगा/गी	ओ चलेगा/गी
तुम चलोगे/गे	तुसीं चलोंगे/गीआँ
हम चलेंगे/गी	असीं चलाँगे/गीआँ
वे चलेंगी/गें	औ चलगीआँ/गे

(घ) संभाव्य वर्तमान

मैं/तू/वह चलता/ती	मैं/तूँ/ओ चलदा/दी
हम/तुम/आप चलते/तीं	असीं/तुसीं/ओ चलदे/दीआँ

क्रिया पदबंध स्तर पर काल-रचना दो क्रिया-अवयवों के योग से होती है जिसमें पहला अवयव धातु होता है तथा दूसरा अवयव कृदंत रूप होता है। हिंदी-पंजाबी की निम्न संरचनाओं को देखिए–

(क) अपूर्ण कृदंत

वह खाता है	ओ खांदा ऐ	निश्चयार्थक वर्तमान
वह खाता था	ओ खांदा सी	अपूर्ण भूतकाल
वह खाता होगा	ओ खांदा होवेगा	संदेहार्थक वर्तमान
वह खाता हो	ओ खांदा होवे	संभाव्य वर्तमान
वह खाता होता	ओ खांदा हुंदा	अपूर्ण संकेतार्थ

(ख) पूर्ण कृदंत

वह चला है	ओ चलिआ ऐ	पूर्ण वर्तमान
वह चला था	ओ चलिआ सी	पूर्ण भूत
वह चला होगा	ओ चलिआ होवेगा	संदेहार्थ भूत
वह चला हो	ओ चलिआ होवे	संभाव्य वर्तमान
वह चला होता	ओ चलिआ हुंदा	पूर्ण संकेतार्थ

सांस्कृतिक स्तर पर व्यतिरेक

जगन्नाथन (2002) ने लिखा है कि 'मुझे जाना है' के लिए 'मैंने जाना है' का प्रयोग दिल्ली में बोली जाने वाली हिंदी की बहुव्यापी प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति को भी लोग पंजाबी का प्रभाव मानते हैं। पंजाबी में 'को' के लिए 'नूँ' रूप है–

मुझे जाना है	मैंनूँ जाणा ऐ

हिंदी के कर्त्ता कारक में प्रथम तथा मध्यम पुरुषों में 'ने' रूप प्रयुक्त होता है जबकि पंजाबी में यह नहीं लगता–

पंजाबी	हिंदी
मैं कम्प कित्ता	मैंने काम किया
मैं कोशिश कित्ती	मैंने कोशिश की

हरियाणवी में 'ने' की व्यवस्था है और उक्त दोनों कारकों में 'ने' रूप लगता है–

मन्नै	मुझे
मैंने	मैंने
उसनै	उसे

जगन्नाथन के अनुसार 'मैंने जाना है' का स्रोत हरियाणवी है और पंजाबी इस प्रवृत्ति को रूप साम्य के कारण पुष्ट करती है। डॉ. धीरेंद्र वर्मा का मानना है कि हरियाणवी एक प्रकार से पंजाबी और राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली है। दिल्ली हिंदी भाषी राज्य है। डॉ. वर्मा दिल्ली की भाषा बाँगरू या हरियाणवी बोली को ही मानते हैं। देश के विभाजन के उपरांत सीमांत प्रदेश की भाषाएँ बोलने वालों का एक बड़ा वर्ग इस शहर में आकर बसा। 1947 के बाद भारत में पैदा हुई इस पीढ़ी की भाषा में पंजाबी का प्रभाव दिखाई पड़ता है, इसीलिए यह पीढ़ी मानक हिंदी 'माताजी आई हैं' के स्थान पर 'माताजी आए हैं' बोलती है 'मातृभाषा' के स्थान पर, मात्र भाषा बोलती है। यह पीढ़ी 'गरीब' को 'ग्रीब' बनाती है, किंतु 'सरीन' को 'स्रीन' नहीं बनाती क्योंकि यह जातिसूचक शब्द है। इस पीढ़ी के वक्ताओं के शब्द-मध्य में 'ह' का लोप तथा तज्जन्य स्वनिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है–

नहीं	→			नई
बोल रहे हैं	→			बोल रए ऐं
बहन	→	भैन	→	बैन

आजादी के बाद दिल्ली की हिंदी में 'मुझे', 'तुम्हें' की जगह 'मेरे को', तेरे को का प्रयोग अधिक प्रचलित है। पंजाबी में बहुत से शब्द

संस्कृत से टूटकर भ्रष्ट हो गए, जिसकी वजह से अर्थ की दृष्टि से सांस्कृतिक व्यतिरेक दिखाई देता है, जैसे–

संस्कृत	हिंदी	पंजाबी
माष	उड़द की दाल	मा दाल
भ्राता जी	भाई जी	पॉजी

हालांकि पंजाबी में 'पॉजी' बड़ों को ही कहते हैं किंतु हिंदी भाषी कभी-कभी इसके अर्थ का लेकर गच्चा खा जाते हैं।

सारांश

उपर्युक्त अध्ययन से पता चलता है कि हिंदी और पंजाबी सजातीय भाषाएँ हैं। पंजाबी का विकास कुछ लोग शौरसेनी अपभ्रंश से भी मानते हैं। ये भाषाएँ कहीं न कहीं संस्कृत से ही टूटकर बनी हैं। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी का विकास भी उसी ब्राह्मी लिपि से हुआ है, जिससे नागरी समेत सभी भारतीय लिपियाँ विकसित हुई हैं। इस लेख के द्वारा उम्मीद है कि अपनी क्षेत्रीय अस्मिता को अक्षुण्ण रखने के लिए अंतर-सांस्कृतिक अध्ययन को इस प्रयास से बल मिलेगा।

***

बाल शोषण के विरुद्ध सक्रिय संस्थाएँ

राधाकांत भारती

बच्चों के शोषण के विरुद्ध और उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा की लड़ाई केवल कानूनी हथियारों से नहीं लड़ी जा सकती है। इसके लिए समाज की जागृति और नैतिकता के विकास पर पर्याप्त ध्यान देना होगा। गरीबी, बेरोजगारी, पर्यावरण, कुपोषण, निरक्षरता तथा स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं की दिशा में संपूर्ण प्रयास करने होंगे। सामाजिक मान्यताओं और रूढ़िवादी परंपराओं से ऊपर उठना होगा। सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े परिवारों तथा झुग्गी-झोंपड़ी और मलिन बस्तियों में रह रहे परिवारों की ओर विशेष ध्यान देना होगा। केवल नीतियाँ बना लेने अथवा अपार धनराशि खर्च कर देने से समस्याओं पर काबू नहीं पाया जा सकता। शिक्षा, जनचेतना, समाजशास्त्रियों, पंचायतों, शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, पत्रकारों, गैर-सरकारी संस्थाओं आदि के सहयोग से ही बाल शोषण संबंधी समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। समाज में जनचेतना लाने के लिए पत्र-पत्रिकाओं, दृश्य-श्रव्य सामग्री, बैनर, सिनेमा स्लाइड, सार्वजनिक स्थानों पर सेमिनार आदि आयोजित करने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से

बाल शोषण रोकने के व्यापक प्रचार किए जा सकते हैं। सारगर्भित और आकर्षक नारे यदि दीवारों पर लिखे जाएँ तो उनका भी प्रभाव जनसाधारण में बहुत पड़ता है। ये नारे प्रतियोगिता के आधार पर सरकार अथवा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा लिखवाए जा सकते हैं। नारों के नीचे संस्था का नाम छोटे अक्षरों में देने से उनका परिचय भी हो जाएगा। कुछ गैर-सरकारी स्वयंसेवी संस्थाएँ बाल अधिकारों के लिए कार्यरत हैं। बाल श्रम की समाप्ति के लिए दिल्ली की 'बटरफ्लाइज' नामक स्वयंसेवी संस्था बाल श्रम अधिनियम, 1986 को लागू करने पर जोर देती है तथा बच्चों पर होने वाले अत्याचारों और अन्य प्रकार के शोषणों के प्रति चिंतित है। संस्था 'माई नेम इज टुडे' नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित करती है जिसमें बच्चों से संबंधित लेखों एवं आँकड़ों आदि का संकलन होता है। बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह संस्था न्यायालय जाने में भी सहायता करती है।

बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए 'अंकुरण' नामक एक अन्य संस्था की स्थापना सन् 1982 में हुई थी। यह संस्था तीन से छह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सात बालवाड़ी केंद्र चलाती है। इसमें दो सौ बच्चे हैं। इस संस्था को 'चाइल्ड रिलीफ एंड यू' (क्राई) से अनुदान प्राप्त होता है। 'क्राई' ने हाल ही में तीन अन्य गैर-सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर बाल श्रम के बारे में सर्वेक्षण किया। इस टीम ने पाया कि एक लाख पच्चीस हजार बच्चों से अभी भी पटाखों की फैक्टरियों में काम कराया जाता है, जबकि सन् 1996 के बाल श्रम निरोधक अधिनियम के अनुसार बच्चों को पटाखों की फैक्टरियों में कार्य करने के लिए विशेष तौर पर मनाही है। 'क्राई' संस्था ने पाया कि बच्चों द्वारा पटाखों की फैक्टरी में कार्य करने से उन्हें दमा व क्षय रोग जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं तथा जीवन को भी खतरा हो सकता है। ये फैक्टरियाँ बच्चों को पंद्रह से तीस रुपए प्रतिदिन तक देती हैं। इनमें दस से चौदह वर्ष के बच्चे यह कार्य करते

हैं। कंपनियों में आपातकालीन निकास द्वारा बनाए गए हैं। कभी 'क्राई' या कोई अन्य संस्था सर्वेक्षण करने जाती है तो कंपनी के मालिक उन्हें इस द्वार से बाहर भेज देते हैं, अर्थात् इस प्रकार की कंपनियाँ बाल शोषण के उन्मूलन में सहयोग नहीं दे रही हैं।

'पालना' नई दिल्ली में कार्यरत एक अन्य स्वयंसेवी संस्था है। कारखाना अधिनियम, 1948 के अनुसार, जिस कारखाने में तीस महिलाएँ कार्यरत हो वहाँ पालनाघर होना आवश्यक है। इसकी जिम्मेदारी नियोजक की है। इस संस्था की स्थापना सन् 1969 में मीरा महादेवन ने की थी। यह संस्था दिल्ली में तीन सौ पचास, मुंबई में बाईस तथा पुणे में आठ केंद्र चला रही है। पुनर्वास कॉलोनियों एवं झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में भी संस्था के दस केंद्र हैं। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल करना है। दिल्ली में इस संस्था के चौबीस केंद्र हैं– चौदह पुनर्वास कॉलोनियों तथा दस झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में। यह संस्था मजदूरों के बच्चों को खेलने, मनोरंजन करने तथा पढ़ने के अवसर भी प्रदान करती है। जिन मजदूरों के बच्चों के पास जन्म व आवास प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड आदि नहीं होता, संस्था उन्हें इन प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध करवाने में सहायता करती है। नई दिल्ली में 'मोबाइल क्रेच' अर्थात् 'चल पालनाघर' भी हैं।

'साक्षी' नामक एक स्वयंसेवी संस्था नई दिल्ली में स्थित है। यह संस्था बच्चों एवं औरतों के साथ हुई हिंसा, अत्याचार एवं लैंगिक शोषण के खिलाफ आवाज उठाती है। लैंगिक शोषण के विषय पर यह संस्था स्कूल की छात्राओं के साथ कार्यशालाएँ आयोजित करती हैं।

14 नवंबर, 1988 को दिल्ली में 'प्रयास' नामक स्वयंसेवी संस्था की स्थापना की गई। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों को कुछ व्यावसायिक शिक्षा देना है ताकि ये बच्चे किसी अपराध या गिरोह के जाल में न फँसें। मानव संसाधन विभाग, समाज

कल्याण, दिल्ली पुलिस, श्रमिक विद्यापीठ, रोटरी क्लब आदि विभागों के सौजन्य से यह संस्था लगभग तीन हजार बेसहारा बच्चों के अध्ययन, आहार तथा चिकित्सा का प्रबंध करती है। साथ ही यह तीन अनाथालयों का संचालन भी करती है।

पटना स्थित 'बालसखा' नामक स्वयंसेवी संस्था ने स्टेशन पर जूता पॉलिश करने, बोझा ढोने, खोमचा आदि लगाने वाले बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करने के लिए उन्हें संगठित करने के पश्चात् उनके आवास की व्यवस्था की है। इस दिशा में 'आल्टरनेटिव इंडिया डेवलपमेंट' (पलामू), 'लोक जागरण' (गया), 'बिरसा इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड सोशल एक्शन' (लखीसराय), 'ग्रामीण संस्थान विकास' (बक्सर) आदि संस्थाएँ भी कार्यरत हैं।

नोएडा में 'साईंकृपा' नाम से पच्चीस बच्चों का एक घर है। यहाँ कुछ बच्चे पुलिस लाती है, कुछ को लोग बेसहारा होने के कारण ले आते हैं, कुछ बच्चे मंदिरों के बाहर से, फुटपाथ से लाए गए हैं तथा कुछ ऐसे हैं जिनके माँ-बाप का पता नहीं होता। घर से भागे हुए और परित्यक्त बच्चे भी यहाँ आते हैं। नोएडा प्राधिकरण ने इस संस्था को तीन हजार रुपए किराए पर छह मकान दिए हैं। बच्चों पर होने वाले खर्च का 50 प्रतिशत 'क्राई' नामक संस्था से प्राप्त होता है। लगभग 10 प्रतिशत उदार हृदयवाले लोग दान देते हैं। शेष 40 प्रतिशत संस्था की संचालिका अंजना राजगोपाल स्वयं वहन करती हैं। बच्चे भी कलात्मक वस्तुएँ बनाकर उनसे धन एकत्रित करते हैं। कर्नाटक के एक गाँव के पास व्यास होम से उन्हें इस कार्य की प्रेरणा मिली। अंजना एक स्कूल भी चलाती हैं, जिसमें तीन सौ पचास बच्चे पढ़ते हैं। 'साईंकृपा' के बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं।

दिल्ली की संस्था 'सवेरा' वेश्याओं के उत्थान एवं मानवाधिकार के लिए प्रयास कर रही है और उन्हें बालकों को शिक्षित करने के लिए भी प्रेरित कर रही है।

मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में एक स्वैच्छिक संस्था 'श्रद्धा' ने पाँच से पंद्रह वर्ष तक की आयु के बच्चों को सहारा देने के लिए जिला प्रशासन की सहायता से पच्चीस-पच्चीस बच्चों के लिए स्थान सुलभ कराने का बीड़ा उठाया। सड़कों पर भटकने वाले बेसहारा बच्चों को अपराधी गिरोहों से बचाकर रखने के लिए यह एक अच्छी शुरुआत है। रात को बच्चे यहाँ आश्रय पाने के लिए आते हैं और दिन में दुकानों या ढाबों आदि पर काम के लिए चले जाते हैं।

मुंबई, कोलकाता, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि नगरों में भी कई स्वयंसेवी संस्थाएँ बच्चों के कल्याण के लिए कार्य कर रही हैं। कोलकाता के सोनागाछी इलाके में कुछ संस्थाओं ने वेश्याओं के बच्चों के लिए रात की पारी में स्कूल शुरू किए हैं।

शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाकर केंद्र सरकार ने प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है ताकि कम से कम बुनियादी शिक्षा सबको प्राप्त हो सके। यूनिसेफ भारत में शिक्षा को सामाजिक और आर्थिक विकास का अनिवार्य पहलू मानती है। बाल श्रम समाप्त करने के लिए सर्वशिक्षा अभियान को बढ़ावा देना और मिड-डे मील कार्यक्रम चलाना केंद्र सरकार का अभिनव कार्यक्रम है। मिड-डे मील के द्वारा गरीब स्कूली छात्रों को भोजन देने का कार्यक्रम विश्वभर में सबसे बड़ा और अभिनव कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को इसलिए चलाया गया है ताकि माँ-बाप या अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ने भेजना चाहें और उनमें बच्चे दिलचस्पी से पढ़ाई में भाग लें। 'अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन' ने भी व्यापक सहमति के आधार पर यह दृष्टिकोण अपनाया है कि स्कूल जाने की उम्र के बच्चों को स्कूल की बेहतर सुविधाओं के द्वारा स्कूल जाने के लिए आकर्षित किया जाए। इससे छोटी उम्र के बच्चे शोषक रोज़गार में नहीं फँसेंगे। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, फ्रांस के अध्यक्ष जीन डेविमल के अनुसार, "शिक्षा से बच्चों को वंचित रखना भविष्य को समाप्त करने के समान है।"

हमारे देश में सबसे अधिक जनचेतना की आवश्यकता इस विषय पर है कि बालक-बालिकाओं में भेदभाव न किया जाए। बुनियादी सुविधाएँ सबको समान रूप से मिलें। फुटपाथी बच्चों, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों और वेश्याओं के बच्चों को शिक्षा आदि के कार्यक्रमों में अधिक-से-अधिक अवसर दिए जाएँ। बालिकाओं के प्रति आज भी भेदभाव और अन्याय बालिका के जन्म से पूर्व ही आरंभ हो जाता है। आधुनिक तकनीक से गर्भस्थ शिशु की पहचान संभव हो जाने से कन्या भ्रूण हत्या का सिलसिला आज भी चोरी-छिपे जारी है। ऐसी घटनाओं को पारिवारिक समर्थन भी प्राप्त होता है।

अब बलात्कार, अपहरण, छेड़छाड़ और दहेज हत्या जैसे जघन्य पाप भी बच्चियों के साथ होने की घटनाएँ आम हो गई हैं। कई प्रदेशों में बालिका शिशुओं को जन्म के तुरंत बाद मार देने की प्रथा है। यह काम अकसर दाइयों से करवाया जाता है। बच्ची यदि मार न दी गई हो तो शुरू से ही उसे पराया धन कहा जाता है। उसे संतुलित भोजन भी नहीं दिया जाता, अर्थात् उसके अधिकारों की ओर कोई ध्यान नहीं देता, केवल उसके कर्त्तव्य गिनाए जाते हैं। घर-गृहस्थी का काम उससे ही करवाया जाता है। सरकार ने सन् 1986 के सार्क सम्मेलन में बालिका की अवस्था को रेखांकित किया। सन् 1990 के सार्क शिखर सम्मेलन में 1990 को 'बालिका वर्ष' घोषित किया गया। तत्पश्चात् सन् 1990 के दशक को 'सार्क बालिका दशक' घोषित किया गया। यूनिसेफ इंडिया तथा भारत सरकार कन्या भ्रूण हत्या व शिशु हत्या को जड़ से समाप्त करने, कम उम्र में विवाह पर प्रतिबंध लगाने तथा स्त्री शिक्षा की ओर निरंतर प्रयत्नशील है।

हमारे देश में चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर न रखने का कानून है। इससे स्पष्ट होता है कि बाल श्रम, विशेषकर बाल घरेलू नौकर का कार्य समाप्त करने के प्रति सरकार सजग है।

परंतु बाल शोषण के और भी कई मुद्दे हैं। अस्पतालों से बच्चों के अपहरण की घटनाओं को बच्चों के मनोवैज्ञानिक शोषण एवं हनन की पराकाष्ठा कहा जाना चाहिए। बच्चा जिस समय ठीक प्रकार से माँ को भी नहीं पहचानता, कुछ कठोर हृदय वाले लोग उसका अपहरण कर ले जाते हैं। बच्चों की सुरक्षा की ओर अस्पतालों में भी और अधिक ध्यान देना अपेक्षित है।

समय के साथ कुछ सामाजिक मान्यताओं में कमी आई है, परंतु वे समाप्त नहीं हुई हैं। बाल विवाह में धीरे-धीरे कमी आ रही है। देवदासी प्रथा के उन्मूलन की ओर भी समाज का ध्यान गया है। समाज की प्रत्येक रूढ़िवादी और अंधविश्वासी मान्यताएँ, जो शोषण का रूप लेती हैं, उन्हें समाजसेवियों की मदद से समाप्त करने के कदम उठाए जा रहे हैं।

यूनिसेफ बच्चों के अधिकारों के प्रति हुए समझौते की धारा 34 का अनुमोदन करने वाले भारत सहित एक सौ इक्यानवे देशों से बाल वेश्यावृत्ति एवं अवैध यौन संबंधों में बच्चों के शोषण का अंत करने की अपेक्षा करता है। विदेशी पर्यटकों द्वारा बच्चों पर किए जाने वाले यौन अपराधों की रिपोर्ट कई देशों ने की है। इन अपराधों से बच्चों को बचाने के लिए कुछ सरकारें कार्य कर रही हैं।

धारा 34 के अनुसार बच्चों को यौन शोषण से हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करना प्रत्येक राज्य सरकार का कर्त्तव्य है। धारा 35 एवं 36 के अनुसार, राज्य सरकारें बच्चों को अपहरण, यौन व्यापार, जबरन देह व्यापार में धकेलने, वेश्यावृत्ति अथवा अश्लील कार्यों के प्रति सुरक्षा प्रदान करेंगी। देह व्यापार के प्रति भारतीय दंड संहिता में संशोधन भी किए गए हैं। धारा 366-ए के अंतर्गत अवयस्क लड़की की दलाली, धारा 372 व 373 के अंतर्गत अवयस्क लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए बेचना या खरीदना दंडनीय अपराध है। इसके अतिरिक्त कई कानून जैसे देह व्यापार निषेध अधिनियम, 1986 बनाया गया। इसके

अंतर्गत धारा 3 में दलाली, धारा 4 के अंतर्गत वेश्यावृत्ति से प्राप्त धन से जीविकोपार्जन तथा धारा 8 के अनुसार शीलभंग करना दंडनीय है।

बाल शोषण समाप्त करने के लिए समाज से बच्चों के अधिकारों के प्रति और अधिक सजगता की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे स्वयं अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ सकते। उनके अधिकार जरूरतों के रूप में समाज को देने चाहिए। सामाजिक, दैहिक, लैंगिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक एवं आर्थिक शोषण के कारणों को समझकर उन्हें हल करना चाहिए। अशिक्षा, अज्ञान और गरीबी की समस्याओं को हल किए बिना बाल शोषण की समस्याओं को समाज समझ नहीं सकता। बालिकाओं को लिंग भेद के कारण अधिकार खोने पड़ते हैं। दहेज के कारण लड़कियों की हत्या तक कर दी जाती है। आज जन-जागरण, जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ्य संबंधी चेतना व जन सहयोग की आवश्यकता है। प्रत्येक नागरिक इसमें योगदान दे सकता है। लड़का-लड़की में भेदभाव न करते हुए कम संतान पैदा कर उसका लालन-पालन, शिक्षा और देखभाल अच्छे ढंग से कर सकता है। जनसंख्या वृद्धि के साथ अनेक समस्याएँ जुड़ जाती हैं। विकास अधूरे दिखाई देते हैं। जिस मात्रा में प्रगति होती है उसकी तुलना में जनसंख्या वृद्धि कहीं अधिक होती है। शहर-शहर और गाँव-गाँव में स्कूल खुले हैं, परंतु बहुत से बच्चे स्कूलों में प्रवेश पाने से वंचित रह जाते हैं। 'खाली दिमाग शैतान का घर' होने के कारण अपराधोन्मुख हो जाते हैं। पेट पालने के लिए अनैतिक कार्यों का सीधा असर बच्चों पर पड़ता है। बाल अपराध, वेश्यावृत्ति आदि समस्याएँ उग्र रूप ले सकती हैं। जब तक जनसंख्या विस्फोट की समस्या से नहीं निपटा जाता तब तक प्रयास अधूरे रहेंगे। सन् 1945 में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की कुल जनसंख्या 39 करोड़ थी। सन् 1951 में अकेले भारत की जनसंख्या 36.1 करोड़, 1961 में 44 करोड़, 1971 में 54.8 करोड़, 1981 में 68.3 करोड़, 1991 में 84.6 करोड़, 1997 में 96 करोड़

और सन् 2011 में हमारी जनसंख्या 122 करोड़ हो चुकी है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए समुचित स्त्री शिक्षा जरूरी है। केरल में शिक्षा के कारण महिलाएँ जनसंख्या नियंत्रण की जरूरतों को समझती हैं और लागू करना जानती हैं।

इस समय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय बाल संरक्षणों को प्राथमिकता देते हुए बड़ी संख्या में स्वयंसेवी संस्थाओं को बाल पुनर्वास संबंधी कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहयोग दे रहा है। किसी-किसी क्षेत्र में स्वयंसेवी संस्थाओं को सरकारी संस्थाओं से भी बेहतर कार्य करते देखा गया है। समाज, सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थाएँ समस्याओं के उन्मूलन में मिलकर कार्य करें तो बाल शोषण काफी हद तक समाप्त हो सकता है।

***

ज्ञान-चर्चा

डॉ. सतीश चन्द्र सक्सेना

I. वजन कम करने वाली औषधियों के दुष्प्रभाव

आजकल महानगरों में ही नहीं अपितु लगभग सभी बड़े नगरों में स्वयं को सुडौल एवं आकर्षक बनाए रखने के लिए शरीर भार को नियंत्रित करने की प्रतिस्पर्धा फैशन बन गई है। शरीर भार को नियंत्रण में रखना अच्छी बात है। मोटापा एक अभिशाप है जो कई प्रकार के रोगों जैसे उच्च रक्तचाप, हृदय रोगों तथा तनाव आदि का कारण होता है। आजकल का खान-पान विशेषकर फास्ट फूड अथवा यों कहें जंक फूड का अत्यधिक सेवन, कम व्यायाम तथा स्थानबद्ध कार्यशैली आदि कारणों से युवाओं और प्रौढ़ों में मोटापे की प्रवृत्ति देखी गई है। इतना ही नहीं निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले धनी परिवारों के अधिकतर बच्चों का शरीर भार सूचकांक (Body Mass Index), सामान्य से अधिक होता है जो उनमें मोटापे की प्रवृत्ति दर्शाता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शरीर भार के मापन के लिए शरीर भार सूचकांक (BMI) के निम्नलिखित मानों की संस्तुति की है:

BMI = भार (पाउन्ड में) ÷ ऊँचाई (इंचों में)^2 × 703

पुरुष तथा महिला	भार सामान्य से कम	आदर्श भार	सामान्य से अधिक भार	मोटापा
	< 18.5	18.5-24.9	25.0-29.9	>30

अतः शरीर-भार को नियंत्रित रखना स्वस्थ जीवन का मूल मंत्र हैं। इसके लिए संभ्रांत पुरुष व महिलाएँ जॉगिंग, जिम में

जाना, सुबह की सैर अथवा ट्रीड मिल आदि साधनों का प्रयोग करते हैं क्योंकि व्यस्त जीवन में प्रतिदिन सुबह की सैर आदि संभव नहीं होता। इन सबके बावजूद संतोषजनक परिणाम प्राप्त करने के लिए आहार पर नियंत्रण करना आवश्यक होता है जो अपने आप में एक कठिन साधना है। आहार में नियंत्रण के लिए यथासंभव कम वसायुक्त भोजन तथा कार्बोहाइड्रेटों में भी कटौती करनी पड़ती है। ताजे फलों और कच्ची या उबली हुई सब्जी, अंकुरित चने व दालों व दही आदि का सेवन लाभदायक होता है। इसके अतिरिक्त सेव, चुकंदर, पालक, अंगूर, ब्रोकोली, बंदगोभी आदि भी लाभप्रद हैं क्योंकि ये नकारात्मक वसा खाद्य (negative fat food) कहलाते हैं। इन पदार्थों को हजम करने के लिए पाचन तंत्र को अधिक श्रम करना पड़ता है जिसके लिए अतिरिक्त कैलोरियों की आवश्यकता होती है।

इतनी कठोर साधना सबके लिए संभव नहीं है। अतः शरीर के वजन को नियंत्रित करने के लिए जिम या पार्लरों में जाना, गोलियों तथा विशिष्ट तेलों की मालिश आदि का प्रचलन खूब पनप रहा है। दैनिक समाचार-पत्रों में इस प्रकार के अनेक विज्ञापन देखे जा सकते हैं। इन विज्ञापनों में यह दावा किया जाता है कि व्यायाम और डाइटिंग के बिना औषधि के सेवन से एक सप्ताह मात्र में 5 किग्रा और 2 सप्ताह में 10 किग्रा तक शरीर का वजन कम किया जा सकता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आहार नियंत्रण से शरीर भार में कमी धीरे-धीरे होती है जो वांछनीय है। औषधियों के सेवन से भार में तेजी से हुई कमी स्थाई नहीं होती तथा प्रयुक्त औषधियों के अनुषंगी प्रभावों के रूप में हानिकर प्रभाव भी पड़ते हैं जिनमें गुर्दे की पथरी, जिगर की समस्याएँ, हृदय की स्पंदन गति तेज होने से हृदय रोग की संभावनाएँ, मनोभावों में जल्दी-जल्दी परिवर्तन आदि

शामिल हैं। कुछ लोगों को डायरिया तथा वसा असहयता की भी शिकायत हो सकती है।

ये औषधियाँ किस प्रकार कार्य करती हैं?

शरीर भार कम करने में सहायक औषधियाँ सामान्यतः चर्बी (वसा) को जलाने का कार्य करती हैं। ये औषधियाँ उपापचयी दर (Metabolic rate) में वृद्धि करके, भूख कम करके तथा शरीर में वसा के अवशोषण को कम करके कार्य करती हैं। सामान्यतः प्रयुक्त चर्बी जलाने वाली औषधियों के अंतर्गत तापजनिक (thermogenic) औषधियाँ, भूख शामक तथा अग्न्याशयीलाइपेस रोधक (pancreatic lipase inhibitors) आते हैं।

तापजनिक संपूरक, उपापचयी दर में वृद्धि करते हैं जिससे कैलोरियों की खपत बढ़ जाती है। भूख शामक मस्तिष्क पर क्रिया करते हैं और भूख की इच्छा को कम कर देते हैं। अग्न्याशयी लाइपेस रोधक, आँतों में वसा के अवशोषण को कम करते हैं। मैक्स हेल्थ केयर, नई दिल्ली की इंस्टीट्यूट ऑफ एन्डोक्राइनोलोजी के निदेशक डॉ. सुजीत झा के अनुसार, "इन गोलियों का सेवन भोजन के उपरांत किया जाता है और आँतों में पहुँचने पर भोजन में उपस्थित वसा की नियत मात्रा का ही एन्जाइम पाचन करती है और शेष वसा शरीर से उत्सर्जित हो जाती है। इस कारण शरीर भार नहीं बढ़ता।"

विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि गोलियों के सेवन का यह तात्पर्य नहीं कि भार में वृद्धि हुए बिना आप जो चाहे सो खा सकते हैं। चर्बी जलाने वाली औषधियों के सेवन करने पर भोजन में वसा की मात्रा नियंत्रित रखने की भी सलाह दी जाती है ताकि दुष्पाचन और वसा असहयता के प्रभावों को नियंत्रित किया जा सके। अब सहज प्रश्न यह उठता है कि यदि भोजन में वसा की मात्रा नियंत्रित की जा सकती है तो फिर गोलियों

की क्या आवश्यकता है? वसा के सेवन को कम करने पर शरीर भार में स्वतः कमी आ जाएगी। कुल अध्ययनों से पता चला है कि गोलियों के सेवन से आंत्र कैंसर की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि, इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

अतः निष्कर्ष यही है कि शरीर के वजन को नियंत्रित करने के लिए आहार के तौर-तरीकों में परिवर्तन लाया जाए जिससे कि भार स्थाई रहे। गोलियों का सेवन बंद करने पर शरीर भार में वृद्धि फिर शुरू हो जाती है। आहार के नियंत्रण में इस बात का ध्यान रखा जाए कि शरीर को विटामिन, खनिज तथा सूक्ष्म मात्रिक तत्वों की यथेष्ट मात्रा मिले। गोलियों आदि का सेवन डॉक्टर की सलाह पर और विशेष परिस्थितियों में थोड़े समय तक ही किया जाना चाहिए।

II. माला में 108 मनके ही क्यों होते हैं ?

श्रद्धा, भक्ति और समर्पण की प्रत्येक माला में 108 मनके अपने में एक गूढ़ अर्थ संजोए हुए हैं। भारतीय मुनियों ने एक वर्ष में 27 नक्षत्र बताए हैं। प्रत्येक नक्षत्र में चार चरण होते हैं। इस प्रकार कुल 108 चरण हो जाते हैं। इसी कारण ज्योतिष विज्ञान में 108 की संख्या शुभ मानी गई है। जैन संप्रदाय में 108 मनकों की माला को पवित्र माना जाता है। मन, वचन और कर्म से जो हिंसा आदि पाप होते हैं वे 36 प्रकार के होते हैं। इन्हें स्वयं करने, दूसरों से कराने तथा करते हुए को सराहने से यह संख्या 36 का तीन गुणा अर्थात 108 हो जाती है। इन 108 पापों या बुरे कामों से मुक्ति पाने के लिए 108 मनकों की माला का जाप किया जाता है।

बौद्ध मत में भी यह संख्या शुभ मानी जाती है। गौतम बुद्ध के जन्म के समय 108 ज्योतिषियों के उपस्थित रहने की बात कही जाती है। बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले देश जापान में श्राद्ध के अवसर पद 108 दीपक जलाने का रिवाज़ है।

वस्तुतः माला का उपयोग मन की एकाग्रता के लिए किया जाता है। विद्वानों का मानना है जप के माध्यम से चंचल मन को नियंत्रण में रखा जा सकता है जिससे अपार भौतिक व आध्यात्मिक उपलब्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं। माना जाता है कि माला फेरते समय अंगूठे व अंगुलियों के मध्य घर्षण से एक प्रकार की विद्युत उत्पन्न होती है, जो धमनियों द्वारा सीधे हृदय-चक्र को प्रभावित करती है। इससे मन स्थिर होता है। यह तब ही प्रभावी होता है जब माला का जाप करते समय चित्त को यथा संभव एकाग्र रखा जाए। इस संदर्भ में निम्नलिखित दोहा बहुत सार्थक है–

माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर।
कर का मनका डाल दे, मन का मनका फेर।।

III. बड़ा दिन अर्थात् बड़ा दिल

22 जून सबसे बड़ा दिन माना जाता है अर्थात् उस दिन सूर्य सबसे पहले उदय होता है और सायं सबसे बाद में अस्त होता है। ठीक इसके विपरीत 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन कहा जाता है क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त में अंतर न्यूनतम होता है।

प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर ईसा मसीह के जन्म दिन के रूप में मनाया जाता है जिसे क्रिसमस या बड़ा दिन भी कहते हैं। यह खुशियों भरा त्यौहार है और ईसा मसीह की शिक्षाओं में समानता और भाईचारे के संदेश के कारण हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति के साथ पूरी तरह घुलमिल गया है। यह हमारे सामाजिक परिवेश का प्रतिबिंब है जो विभिन्न वर्गों और

संप्रदाय के लोगों के मध्य परस्पर सौहार्द्र की भावना को सशक्त बनाता है।

पहले स्कूल, कॉलेजों, आफिसों तथा न्यायालयों में इस अवधि को क्रिसमस सप्ताह या क्रिसमस अवकाश घोषित किया जाता था जिसे बाद में विन्टर ब्रेक या शीतकालीन अवकाश कहा जाने लगा। क्रिसमस का अर्थ मानव मुक्ति और समानता है। जीवनभर ईसा मसीह मानव उद्धार और सामान्य व्यक्ति के लिए संघर्ष करते रहे। कहा जाता है कि ईसा के जन्म की पहली खबर निर्धन और भोले-भाले लोगों को ही मिली थी जो दिनभर कड़ी मेहनत करके अपना जीवनयापन करते थे। मान्यता है कि स्वर्गदूतों के एक दल ने चरवाहों को यह खबर दी कि तुम्हारे लिए एक बालक ने जन्म लिया है जो तुम्हारा मुक्तिदाता बनेगा।

उल्लेख है कि ईसामसीह ने किसी सांसारिक माता-पिता के घर बालक के रूप में जन्म नहीं लिया। उन्होंने एक गरीब व्यक्ति के घर की 'गौशाला' में जन्म लिया।

पहले लोग सर्दियों में सूर्य को देखकर क्रिसमस मना लेते थे। चौथी सदी से चर्च ने इसके लिए 24 और 25 दिसंबर की तिथि निश्चित कर दी। 24 दिसंबर को क्रिसमस की पूर्व संध्या कहते हैं। इस कारण यह त्यौहार अब 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है और और 23 दिसंबर से दिन बड़ा होने लगता है। इस दिन का संदेश भी यही है कि इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज दिल के बजाए इंसान का स्वार्थ बड़ा हो गया है।

ईसा मसीह ने दीन-दुखियों और लाचारों की सहायता करने, प्रेमभाव से रहने, लालच न करने, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करने और आवश्यकता से अधिक धन संग्रह न

करने के उपदेश दिए है– "ईसा ने मानव को जगत की ज्योति कहा। उन्होंने कहा कि दीया जलाकर नीचे नहीं, बल्कि दीवार पर रखना चाहिए, ताकि सबको प्रकाश मिले।" इसका तात्पर्य यह कि हम अपने परिवेश की उपेक्षा न करें। जिसके घर में अंधेरा अर्थात् समस्याएँ हों, उजाला वहाँ ले जाएँ और उसका अंधेरा दूर करने का प्रयास करें।

क्रिसमस पर चर्च और ईसाइयों के घर में झाँकी सजाई जाती है। लोग अपने घरों में गोशाला सजाते हैं, जिसमें ईसा और उनके तथाकथित सांसारिक माता-पिता, चरवाहों और स्वर्गदूतों की मूर्तियों को सजाया जाता है और ईसा के जन्म को याद करते हुए उनकी आराधना की जाती है। इस दिन लोग ईसा मसीह की शिक्षाओं को याद करते हैं, एक दूसरे के सुखद भविष्य की कामना करते हुए फलों और केक का आदान-प्रदान करते हैं तथा अपने घरों को फूलों और क्रिसमस ट्री से सजाते हैं। मोमबत्तियाँ भी जलाई जाती हैं। ईसाई लोग अपने सभी साथियों, मित्रों, रिश्तेदारों आदि से "मैरी क्रिसमस" कह शुभकामनाओं का आदान-प्रदान करते हैं।

ईसा मसीह के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब इस दिन हम बड़े दिल का अर्थात् उदार हृदय व्यक्ति बनने और ईसामसीह के उपदेशों और शिक्षाओं का अनुसरण करने का संकल्प लें।

***

इस अंक के लेखक

1. डॉ. दिनेश मणि – 35/3, जवाहरलाल नेहरू मार्ग
जार्ज टाउन, इलाहाबाद-211002
(उ.प्र.)

2. डॉ. अमिता पाण्डेय – एसो. प्रो. दर्शनशास्त्र
ईश्वर शरण डिग्री कालेज
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद-211002 (उ.प्र.)

3. डॉ. आनंद प्रकाश पांडेय – पूर्व सहा. निदेशक
उ.शि., उ.प्र., इलाहाबाद
10/18E/I, लाउदर रोड, जार्ज
टाउन, इलाहाबाद-211002 (उ.प्र.)

4. प्रो. धर्मदेव तिवारी 'शास्त्री' – ग्राम-चकिया, पो.-पूर
जिला-बलिया, पिनकोड-277124
(उ.प्र.)

5. डॉ. सतीश चंद्र सक्सेना – बी.बी.-35 एफ, जनकपुरी,
नई दिल्ली-110058

6. डॉ. नवल किशोर सेठी – प्राचार्य, महिला महाविद्यालय,
बांदीकुई (दौसा), राजस्थान

7. डॉ. राजेन्द्र कुमार पांडेय – प्रवक्ता, केंद्रीय हिंदी संस्थान,
दिल्ली केंद्र; 3/470, नीतिखंड,
इंदिरापुरम्, गाजियाबाद (उ.प्र.)

8. डॉ. राधाकांत भारती – 56, नगिनलेक अपार्टमेंट, पीरागढ़ी
नई दिल्ली-110087

***

5270 HRD/2013—6.

मानक शब्द-भंडार

bulletin news (L&B.)	समाचार बुलेटिन
bump	उछाल, धक्का
bureau of advertising	विज्ञापन ब्यूरो
bureau of newspapers	समाचारपत्र ब्यूरो
burnish	चमकाना
bus advertising	बस विज्ञापन
business	कारबार
business beat	कारबार क्षेत्र
business department	कारबार विभाग
business division	कारबार प्रभाग
business editor	कारबार संपादक
business form	कारबार फॉर्म
business manager	कारबार प्रबंधक
business name	कारबार नाम
business notice	व्यापार सूचना
butcher's manilla	पीत वेष्टन कागज
butted end	अकोण सिरा
butterfly nut	तितली ढिबरी
butter paper	मखनिया कागज
buttery	चिकनी
button	बटन
by line (= print line)	नाम पंक्ति, मुद्रक पंक्ति
by liner	नाम (से छपने) वाला
byline story	नाम पंक्ति समाचार

cabinet size	कैबिनेट आकार
cable (I.&B.)	केबल
cable authority (I.&B.)	केबल भेजने का प्राधिकार
cable desk	केबल मेज
cable editor	केबल संपादक
cable news	केबल समाचार
cable paper	केबल कागज
cablese	केबल संकेत भाषा
cable toll	केबल तारकर
calendar	(n) कैलेंडर, तिथि पत्र (v) चिकनाना
calendar news story	तिथिगत समाचार
calendar paper	चिकनाया कागज
calico paper	कैलिको कागज, रूमाली कागज
calligraphist	सुलेखकार, खुशनवीस, कातिब
calligraphy	सुलेखन
calling card(=visiting card)	नामपत्रक
calliper	कैलिपर
call letters	नामाक्षर
calumny	मिथ्याभियोग, झूठा आक्षेप
camio process	कैमिओ प्रक्रिया
camera	कैमरा
camera angle (I.&B.)	कैमरा कोण
camera lucida	कैमरा ल्यूसिडा
camera man	कैमरा मैन
camera view point (I.&B.)	कैमरा लक्ष्य

campaign	अभियान
campaign, whispering	कानाफूसी अभियान
campaign officer	विशेष प्रचार अधिकारी
cam race	कैम चाल
cam shaft	कैम शैफ्ट
cancel	रद्द करना
candid photograph	प्रकृत फोटो
canned copy	तैयार प्रचार सामग्री
canons of journalism	पत्रकारिता के नीति-सिद्धांत
capitalization	कैपिटल अक्षरीकरण
capitulation	आत्मार्पण, घुटने टेकना
caps (=capitals)	कैप्स, कैपिटल, दीर्घाक्षर
capsule lead	संपुट कथामुख
caption	शीर्षक, चित्रपरिचय
carbonate paper	कार्बोनेट कागज
carbon copy	कार्बन प्रति, कार्बन कापी
carbon copy paper	कार्बन प्रतिलिपि कागज
carbon paper	कार्बन कागज
carbon tissue	कार्बन तनुपत्र, पतला कागज
car cards	यान–विज्ञापन सामग्री
card	कार्ड
card-catalogue	क्रमसूची कार्ड
card board	गत्ता
card guide	कार्ड नियामक, कार्ड गाइड
card index	कार्ड सूचक

carding out	पत्ती डालना
card paper	कार्ड कागज, पत्रक कागज
caret	हंसपद निवेश चिह्न, कैरेट
carrier	वाहक, वाहित्र
carrier pigeon	वाहक कबूतर
cartoon	व्यंग्य चित्र
cartoon film (I.&B.)	कार्टून फिल्म, व्यंग्य फिल्म
cartoonist	व्यंग्य चित्रकार
cartoonist's bolloon (=bolloon)	पात्रोक्ति
cartouche	कार्तूशे, मानचित्रकारदर्शी
cartridge paper	कार्ट्रिज कागज
case (=type case)	टाइप धानी, टाइप कोश
case cabinet	टाइप धानी आलमारी
casein	कैसीन
case rack	टाइप धानी रैक
case room	टाइप कक्ष
caslon	कैसलन टाइप
cast (I.&B.)	पात्र वर्ग, पात्र सूची
cast coated paper	प्लास्टिक लेपित कागज
caster	ढलाईकार, ढलैया
casting	1. ढली वस्तु 2. पात्र निर्धारण (I.&B.) 3. ढलाई
casting machine operator	ढलाई-मशीन प्रचालक
cast off	मुद्रितानुमान

casts of mats	आधात्री प्लेट
casual advertisement	आकस्मिक विज्ञापन, करार विज्ञापन, संविदा विज्ञापन
catalogue (=catalog)	1. सूचीपत्र 2. क्रमसूची
catalogue, advertising	विज्ञापन सूचीपत्र
catalogue, card	क्रमसूची कार्ड
catch line (=slug line)(=guide line)	संकेत पंक्ति
catch-up	पकड़, अटकाव
category	वर्ग, कोटि, श्रेणी
cater-cornered paper	तिरछा कटा कागज
causal clause lead	हेतु वाक्यांश कथामुख
celebration	समारोह
cell (I.&B.)	सेल, कक्षिका
cellular (structure)	कोशिकीय, कोशिकामय
cellular board (=corrugated board)	सेलुलर बोर्ड, नालीदार बोर्ड
cellulose acetate	सेलुलोस एसीटेट
cellulose nitrate	सेलुलोस नाइट्रेट
cement	1. सीमेंट, 2. गोंद
censor	सेन्सर, अभिवेचक
censor board	सेन्सर बोर्ड
censorship bureau	सेन्सर कार्यालय, अभिवेचन कार्यालय
centered	केन्द्रीकृत
central press accreditation committee	केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति

centre, to	बीच में लाना
centre-faced rule	मध्यमुखी पटरी
centre spread (double page)	दुपन्नी सजावट, मध्यवन्नी सजावट
ceriph (=serif)	सैरिफ, नौंक-पलक
C.G.O. (=can go over)	कभी भी प्रकाश्य
chalking (=powdering)	खड़िया लगाना
chalking (of ink)	(स्याही) अनासंजन, चौकिंग
chalk overlay paper	खड़िया लेपित कागज
changeover (I.&B.)	बदलना
changeover cue (I.&B.)	बदल संकेत
changing audience	श्रोता परिवर्तन
channel (I.&B.)	सरणि
channel allocation	सरणि विनियोजन, चैनल विनियोजन
character	अंक, अक्षर मुद्र
character assassination	चरित्र हत्या
character count	पंक्त्यक्षर-गणना
characteristics	लक्षण, अभिलक्षण
character recognition	अक्षर अभिज्ञान
charcoal and crayon drawing	कोयला और क्रेयन आरेख
chart	चार्ट, नक्शा
chase	परिबंध, चेस
check folio	चेक फोलियो (कागज का आकार)
checking copy	जांच प्रति

chemical filter (P.P.)	रसायन छन्ना, फिल्टर कागज
chemical pulp (P.P.)	रासायनिक लुगदी
chemical wood pump	रासायनिक कठ–लुगदी
chief engineer	मुख्य इंजीनियर
chief news editor	मुख्य समाचार संपादक
chief sub editor	मुख्य उपसंपादक
children's programme (L&B.)	बच्चों का प्रोग्राम, बच्चों का कार्यक्रम
chip board	घटिया गत्ता
chipper (=chopper)(P.P.)	कर्तक
chop (=cutting length)	काट
chorus (I.&B.)	कोरस, वृंदगान
chrome colour	क्रोम रंग
chrome handle	क्रोम हत्था
chromo paper	इकलेपी कागज
chromos	क्रोमो कागज
chronicler	इतिवृत्तकार, इतिहासकार
chronological account	तैथिक विवरण, कालक्रम विवरण
chronological lead	तैथिक कथामुख
chronological narrative	तैथिक वर्णन, कालानुक्रमिक वर्णन
chronology of events	घटना कालानुक्रम
cine cameraman (I.&B.)	सिने कैमरामैन
cinematograph (I.&B.)	चलचित्र

circular	परिपत्र
circulation	1. प्रसार, 2. प्रकाशन 3. बिक्री, 4. (I.&B.) प्रचार संख्या
circulation date	प्रकाशन तिथि
circulation policy	बिक्री नीति, प्रसार नीति
circus make-up	सर्कस सज्जा, विचित्र सज्जा
city affairs	नगर-चर्चा
city desk	नगर मेज
city editor	नगर संपादक
city news	नगर समाचार
city reporter	नगर समाचारदाता
city room	नगर कक्ष
civic news	नगर पालिका समाचार
civic project (news)	नगर परियोजना (समाचार)
civil right	नागरिक अधिकार
clamp	शिकंजा, क्लैम्प
clamp bar	शिकंजा छड़
clam-shell type	क्लैम-शेल प्रकार
clapper (I.&B.)	खटक
classical music (I.&B.)	शास्त्रीय संगीत, पक्का गाना
classified advertisement	वर्गीकृत विज्ञापन
classified advertising	वर्गीकृत विज्ञापन
classified business	वर्गीकृत कारबार
"classified" manager	'वर्गीकृत' विज्ञापन व्यवस्थापक
classified notice	वर्गीकृत विज्ञापन

classified section	वर्गीकृत अनुभाग
class journal	वर्गीय पत्रिका
class publication	वर्गीय प्रकाशन
clean copy	सही लिपि
cleaning blade	मार्जक फल
clean proof	साफ प्रूफ
clear channel	मुक्त सरणि, खुला चैनल
clearing house	वितरण केन्द्र
cliche	पिष्टोक्ति
click	क्लिक
clientele	ग्राहक-वर्ग
clip	1. कर्तन, 2. क्लिप, पकड़नी
clip book (=stock cuts)	स्टॉक ब्लॉक
clipping	करतन
clipping bureau	कतरन ब्यूरो
clipping service	समाचार कतरन सेवा
clip-sheet	कतरन पत्रक
clip-sheet service	करतन सेवा
close medium shot (I.&B.)	मध्य निकट शॉट
close register job	बारीक मिलान कार्य
close up (I.&B.)	(n.) निकट शॉट (v.) मिलाना
cloth printing	वस्त्र-मुद्रण
club	क्लब (कागज का आकार)
clubbing offer	संयुक्त शुल्क
club news	क्लब समाचार

coarse-screen (P.P.)	मोटी जाली
coated paper	लेपित कागज, अबरी कागज
coated stock	लेपित कागज
co-author	सहलेखक
cockled	सिलवटी, सिलवटदार
COD (collect on delivery service)	प्राप्ति पर भुगतान
co-editor	सह संपादक
coil	कुंडली
cold colour	ठंडा रंग, नील-प्रमुख रंग
cold gold (=gold mark)	सुनहरा कार्बन
cold type	फोटो अक्षरांकन
collaborator	सहकर्ता, सहलेखक
collating	(मिसिल) मिलान
collating mark	(मिसिल) मिलान चिह्न
collation	समाकलन, मिलान
collotype	कौलोटाइप
colon	उपविराम
colonial press	औपनिवेशिक प्रेस
colophon	पुष्पिका
coloron	कलरन
colour (=color)	रंग
colour analogous	सदृश रंग

***

लेखकों से अनुरोध

'ज्ञान गरिमा सिंधु' एक त्रैमासिक पत्रिका है जिसमें मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान विषयों से संबंधित लेख प्रकाशित होते हैं। इस पत्रिका का उद्देश्य हिंदी में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों से संबद्ध उपयोगी एवं नवीनतम मूल पाठप्रधान तथा पूरक साहित्य को लोकप्रिय बनाना है। यह पत्रिका मिले-जुले प्रकार की है जिसमें तकनीकी लेख, शोध-लेख, तकनीकी निबंध, मॉडल शब्दावलियाँ तथा परिभाषा-कोश, कविताएँ और मानविकी से संबंधित कहानियाँ, सामाजिक विज्ञान, व्यंग्य चित्र, तकनीकी सूचना, तकनीकी समाचार, पुस्तक-समीक्षा आदि से संबंधित सामग्री प्रकाशित की जाती है।

(i) पत्रिका के लिए भेजी गई पांडुलिपियाँ/लेख मौलिक और अप्रकाशित होने चाहिए। वे केवल हिंदी में होने चाहिए।

(ii) लेखकों को सलाह दी जाती है कि वे सामयिक विषयों/मुद्दों पर लेख भेजें।

(iii) लेख सरल और बोधगम्य भाषा में होने चाहिए।

(iv) लेख में अधिक से अधिक 4,000 शब्द होने चाहिए।

(v) लेख A-4 आकार के कागज पर एक तरफ डबल स्पेस में सफाई से टंकित किया गया या हाथ से स्पष्ट/सुपाठ्य लिखा गया होना चाहिए और दोनों तरफ पर्याप्त हाशिए छोड़े गए होने चाहिए।

(vi) लेख का सार-संक्षेप भी इसके साथ अवश्य भेजा जाना चाहिए।

(vii) लेखों में आयोग द्वारा निर्मित/परिभाषित वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(viii) यदि आवश्यक हो तो लेख में प्रयुक्त तकनीकी शब्दों के अंग्रेजी पर्यायों को कोष्ठकों में भी दिया जा सकता है।

(ix) रंगीन और श्वेत-श्याम फोटोग्राफ स्वीकार किए जाते हैं। प्रस्तुत किए गए रेखाचित्र सफेद कागज पर ब्लैक इंडिया इंक से तैयार किए जाने चाहिए।

(x) किसी लेख का प्रकाशित किया जाना संपादक के विवेक पर होगा और इस संबंध में उसके निर्णय को अंतिम माना जाएगा।

(xi) लेखों को स्वीकार किए जाने के संबंध में कोई भी पत्र-व्यवहार करने का प्रावधान नहीं है।

(xii) अस्वीकृत लेखों को वापस नहीं किया जाएगा। लेखकों को सलाह दी जाती है कि वे उनके लिए टिकट लगे लिफाफे न भेजें।

(xiii) समीक्षा के लिए पुस्तक की दो प्रतियाँ प्रस्तुत की जाएँ।

(xiv) प्रकाशित लेखों के लिए मानदेय की दर रु. 250/– प्रति 1000 शब्द है लेकिन उसकी न्यूनतम राशि रु. 150/– और अधिकतम राशि रु. 1,000/– होगी।

(xv) सभी भुगतान पत्रिका के प्रकाशित होने के बाद किए जाते हैं।

(xvi) लेखक अपने लेखों की दो प्रतियाँ कृपया संबंधित पत्रिका के संपादक को भेज सकते हैं यथा...

डॉ. प्रेमनारायण शुक्ल
संपादक,
'ज्ञान गरिमा सिंधु',
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग,
पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली- 110066

अभिदान से संबंधित सूचना

ज्ञान गरिमा सिंधु/विज्ञान गरिमा सिंधु के सभी अंक पत्रिका के ग्राहकों को डाक द्वारा भेजे जाते हैं।

अभिदान दरें इस प्रकार हैं–

सदस्यता शुल्क	भारतीय मुद्रा	विदेशी मुद्रा	
व्यक्तियों/संस्थाओं के लिए प्रति कापी	रु. 14/–	पौंड 1.64	डालर 4.84
वार्षिक शुल्क	रु. 50/–	पौंड 5.83	डालर 18.00
छात्रों के लिए प्रति कॉपी	रु. 8/–	पौंड 0.93	डालर 10.80
वार्षिक शुल्क	रु. 30/–	पौंड 3.50	डालर 2.88

छात्रों को अपनी शैक्षणिक संस्था के प्रधान द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण-पत्र अवश्य संलग्न करना चाहिए कि वह संस्था का छात्र है।

***

प्रोफार्मा

(आयोग के कार्यक्रमों में सहयोजित होने के लिए आत्मवृत्त भेजने हेतु)

1. नाम : _____
2. पदनाम : _____
3. पता : कार्यालय : _____
   निवास : _____

4. संपर्क नं. टेलीफोन/मोबाइल/ई-मेल _____
5. शैक्षिक अर्हता _____
6. विषय-विशेषज्ञता _____
7. भाषाओं का ज्ञान जिन्हें पढ़/लिख सकते हैं _____
*8. शिक्षण का अनुभव _____
*9. शोध कार्य का अनुभव _____
*10. शब्दावली निर्माण का अनुभव _____
*11. शिक्षा माध्यम के रूप में हिंदी/क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण का अनुभव _____

मैं आयोग से सहयोजित होना चाहता हूँ (कृपया टिक लगाएँ)

- ☐ शब्दावली निर्माण सत्रों में विशेषज्ञ के रूप में
- ☐ आयोग के कार्यक्रमों में संसाधक के रूप में
- ☐ ज्ञान गरिमा सिंधु/विज्ञान गरिमा सिंधु में प्रकाश्य लेख के लेखक के रूप में या पाठ-संग्रह(मोनोग्राफ)/चयनिका के लेखक के रूप में
  - ☐ पांडुलिपि संलग्न है
  - ☐ अधिक जानकारी उपलब्ध कराएँ
- ☐ 'ज्ञान गरिमा सिंधु'/'विज्ञान गरिमा सिंधु' पत्रिका का ग्राहक बनकर
  - ☐ ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर संलग्न है
  - ☐ अधिक जानकारी उपलब्ध कराएँ

हस्ताक्षर

*जहाँ लागू हो

पत्रिका की सदस्यता हेतु ग्राहक फार्म

व्यक्ति/संस्थाएँ या छात्र निम्नलिखित फार्मेट में अभिदान के लिए आवेदन कर सकते हैं :–

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ..... इस स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय के ..... विभाग में वास्तविक छात्र/छात्रा है।

हस्ताक्षर

(प्रिंसिपल/विभागाध्यक्ष)

अभिदान फार्म

अध्यक्ष,
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग,
पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110066
महोदय,

मैं, अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली के नाम नई दिल्ली में ..... बैंक के खाते में देय डिमांड ड्राफ्ट नं. .... दिनांक ..... द्वारा त्रैमासिक पत्रिका 'ज्ञान गरिमा सिंधु/विज्ञान गरिमा सिंधु' के लिए वार्षिक अभिदान के रु. ..... भेज रहा हूँ/रही हूँ।

(हस्ताक्षर)

टिप्पणी : खाते में देय ड्राफ्ट अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली के नाम नई दिल्ली के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के लिए बनवाया जा सकता है।

कृपया डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम और पता लिखें।

अभिदान से संबंधित पत्र-व्यवहार

अभिदान से संबंधित समस्त पत्र-व्यवहार निम्नलिखित के साथ किया जाए–
वैज्ञानिक अधिकारी, बिक्री एकक,
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, पश्चिमी खंड-7,
आर. के. पुरम्, नई दिल्ली-110066
फोन नं. (011) 26105211 एक्स. 246 फैक्स नं. (011) 26101220

पत्रिकाएँ वैज्ञानिक अधिकारी, बिक्री एकक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग या निम्नलिखित पते पर प्राप्त की जा सकती हैं–
प्रकाशन नियंत्रक,
प्रकाशन विभाग,
भारत सरकार, सिविल लाइंस,
दिल्ली-110054

5270HRD/13-7

हमारे प्रकाशन

शब्द-संग्रह

बृहत् पारिभाषिक शब्द-संग्रह

विज्ञान खंड-1, 2	174.00
विज्ञान खंड-1, 2	150.00
विज्ञान (हिंदी-अंग्रेजी)	236.00
मानविकी और सामाजिक खंड 1, 2	292.00
मानविकी और सामाजिक विज्ञान (हिंदी-अंग्रेजी)	350.00
कृषि विज्ञान	278.00
आयुर्विज्ञान, भेषज विज्ञान, शारीरिक नृविज्ञान	239.00
आयुर्विज्ञान, कृषि एवं इंजीनियरी (हिंदी-अंग्रेजी)	48.00
मुद्रण इंजीनियरी	48.00
इंजीनियरी (सिविल, विद्युत्, यांत्रिकी)	340.00
पशुचिकित्साविज्ञान	82.00
प्राणिविज्ञान	311.00

विषयवार-शब्दावलियाँ/परिभाषा कोश

भौतिकी

भौतिकी शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	119.00
भौतिकी शिक्षार्थी शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	219.00
भौतिकी मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	नि:शुल्क
अंतरिक्ष विज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	45.00
तरल यांत्रिकी परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	10.00
प्लाज्मा भौतिकी शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	1589.00
भौतिकी परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	700.00
अर्धचालक शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	40.00
भौतिकी शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी-बोडो)	652.00

गृह विज्ञान

गृह विज्ञान शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	60.00
गृह विज्ञान मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	नि:शुल्क

कंप्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी

कंप्यूटर विज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	57.00
कंप्यूटर विज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	102.00
प्रसारण तकनीकी शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	310.00
सूचना प्रौद्योगिकी शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	231.00

रसायन

रसायन शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	592.00
इस्पात एवं अलौह धातुकर्म शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	55.00
उच्चतर रसायन परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	17.00
धातुकर्म परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	278.00
रसायन शिक्षार्थी शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	84.00
रसायन (कार्बनिक) परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	25.00

वाणिज्य

वाणिज्य शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	259.00
पूँजी बाजार एवं संबद्ध शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	79.00
वाणिज्य परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	24.00

रक्षा

समेकित रक्षा शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	284.00

गुणतानियंत्रण

गुणता नियंत्रण शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी तथा हिंदी-अंग्रेजी)	38.00

भाषा विज्ञान

भाषा विज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी तथा हिंदी-अंग्रेजी)	113.00
भाषा विज्ञान परिभाषा कोश खंड-1 (अंग्रेजी-हिंदी)	89.00
भाषा विज्ञान परिभाषा कोश खंड-2 (अंग्रेजी-हिंदी)	59.00

जीव विज्ञान

कोशिका जैविकी शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	62.00
कोशिका जैविकी परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	121.00
प्राणिविज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	216.00
प्राणिविज्ञान शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी-बोडो)	417.00
प्राणिविज्ञान मूलभूत शब्दावली	नि:शुल्क
पर्यावरण विज्ञान मूलभूत शब्दावली	नि:शुल्क
जैव प्रौद्योगिकी मूलभूत शब्दावली	नि:शुल्क
जीवविज्ञान शिक्षार्थी शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	212.00
पर्यावरण विज्ञान शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	381.00
सूक्ष्मजैविकी परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	45.00

लोक प्रशासन

लोक प्रशासन शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	52.00

गणित

गणित शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	143.00
गणित परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	203.00
सांख्यिकी परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	18.00

भूगोल

भूगोल शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	200.00
भूगोल परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	10.00
मानव भूगोल परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	18.00
मानचित्र विज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	231.00

भूविज्ञान

भूविज्ञान शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	88.00
सामान्य भूविज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	101.00
आर्थिक भूविज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	75.00
भूभौतिक शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	67.00
शैलविज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	82.00

खनिज विज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	130.00
अनुप्रयुक्त भूविज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	115.00
भूविज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	63.00
संरचनात्मक भूविज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	13.50
संरचनात्मक भूविज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	73.00
शैलविज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	153.00
पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	173.00
खनन एवं भूविज्ञान शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	32.00
संरचनात्मक भूविज्ञान एवं विवर्तनिकी शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	15.00
जीवाश्म विज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	129.00
कृषि	
रेशम विज्ञान शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	50.00
कृषि कीटविज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	75.00
सूत्रकृषि विज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	125.00
कृषि विज्ञान मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	नि:शुल्क
मृदा विज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	77.00
वानिकी शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	447.00
इंजीनियरी	
रासायनिक इंजीनियरी शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	51.00
विद्युत् इंजीनियरी परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	81.00
यांत्रिक इंजीनियरी मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	नि:शुल्क
यांत्रिक इंजीनियरी परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	94.00
सिविल इंजीनियरी परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	61.00
तरल यांत्रिकी परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	10.00
वनस्पतिविज्ञान	
वनस्पतिविज्ञान शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	86.00
वनस्पतिविज्ञान परिभाषा कोश (संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण) (अंग्रेजी-हिंदी)	75.00

5270 HRD/2013—8

वनस्पतिविज्ञान मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	नि:शुल्क
पादप रोग विज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	75.00
पुरावनस्पति विज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	80.00
पादप आनुवंशिकी परिभाषा कोश	75.00
अनुप्रयुक्त विज्ञान	
प्राकृतिक विपदा शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	17.00
जलवायु विज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	131.00
मनोविज्ञान	
मनोविज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	9.50
मनोविज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	247.00
इतिहास	
इतिहास परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	20.50
प्रशासन	
प्रशासन शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	20.00
प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी-बोडो)	720.00
प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	20.00
मूलभूत प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	नि:शुल्क
शिक्षा	
शिक्षा परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी), खंड-1	13.50
शिक्षा परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी), खंड-2	99.00
आयुर्विज्ञान	
आयुर्विज्ञान शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	517.00
आयुर्विज्ञान परिभाषा कोश (शल्य विज्ञान) (अंग्रेजी-हिंदी)	338.00
आयुर्विज्ञान के सामान्य शब्द एवं वाक्यांश (अंग्रेजी-तमिल-हिंदी)	279.00
आयुर्विज्ञान मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	नि:शुल्क
औषधि प्रतिकूल प्रतिक्रिया शब्दावली	273.00
आयुर्वेद परिभाषा कोश (संस्कृत-अंग्रेजी)	260.00

समाजशास्त्र

समाज कार्य परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	16.25
समाज शास्त्र परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	71.40

नृविज्ञान

सांस्कृतिक नृविज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	24.00

दर्शनशास्त्र

भारतीय दर्शन परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी) खंड-1	151.00
भारतीय दर्शन परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी) खंड-2	124.00
भारतीय दर्शन परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी) खंड-3	136.00
दर्शन शास्त्र परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	198.00

पुस्तकालय विज्ञान

पुस्तकालय विज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	49.00
पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	375.00

पत्रकारिता

पत्रकारिता परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	87.00
पत्रकारिता एवं मुद्रण शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	12.25

पुरातत्व विज्ञान

पुरातत्व विज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	509.00

कला

पाश्चात्य संगीत परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	28.55

राजनीति विज्ञान

राजनीति विज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	343.00

प्रबंध विज्ञान

प्रबंध विज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	170.00

अर्थशास्त्र

अर्थशास्त्र परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	117.00
अर्थशास्त्र शिक्षार्थी शब्द-संग्रह (अंग्रेजी-हिंदी)	137.00
अर्थशास्त्र मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	नि:शुल्क

अर्थमिति परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	17.00

अन्य

अंतरराष्ट्रीय विधि परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	344.00
नाट्यशास्त्र, फिल्म एवं टेलीविजन परिभाषा कोश (अंग्रेजी-हिंदी)	202.00
नाट्यशास्त्र, फिल्म एवं टेलीविजन शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	75.00
संसदीय कार्य शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी)	130.00

संदर्भ-ग्रंथ

ऐतिहासिक नगर	195.00
प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक नगर	109.00
समुद्री यात्राएँ	79.00
विश्व दर्शन	53.00
अपशिष्ट प्रबंधन	17.00
कोयला (एक परिचय)	294.00
कोयला (एक परिचय) परिवर्धित संस्करण	425.00
रत्न विज्ञान (एक परिचय)	115.00
वाहितमल एवं आपंक : उपयोग एवं प्रबंधन	40.00
पर्यावरणीय प्रदूषण : नियंत्रण तथा प्रबंधन	23.25
भारत में भैंस उत्पादन एवं प्रबंधन	540.00
भारत में ऊसर भूमि एवं फसलोत्पादन	559.00
2 दूरिक एवं 2 मानकित समष्टियों में संपात एवं स्थिर बिंदु समीकरणों के साधन	68.00
भारत में प्याज एवं लहसुन की खेती	82.00
पशुओं से मनुष्यों में होने वाले रोग	60.00
ठोस पदार्थ यांत्रिकी	995.00
वैज्ञानिक शब्दावली : अनुवाद एवं मौलिक लेखन	34.00
मृदा-उर्वरता	410.00

ऊर्जा-संसाधन और संरक्षण	105.00
पशुओं के कवकीय रोग, उनका उपचार एवं नियंत्रण	93.00
पराज्यामितीय फलन	90.00
सामाजिक एवं प्रक्षेत्र वानिकी	54.00
विश्व के प्रमुख धर्म	118.00
सैन्य विज्ञान पाठ संग्रह	100.00
सूक्ष्म तरंग इंजीनियरी	470.00
लेटर प्रेस मुद्रण	270.00
लोहीय तथा अलोहीय धातु	68.00
बाल मनोविकास	58.00
समकालीन भारतीय दर्शन के कुछ मानववादी चिंतक : तुलनात्मक एवं समीक्षात्मक अध्ययन	153.00
मैग्नेसाइट : एक भूवैज्ञानिक अध्ययन	214.00
मृदा एवं पादप पोषण	367.00
नलकूप एवं भौमजल अभियांत्रिकी	398.00
विश्व के प्रमुख धर्मों में धर्मसमभाव की अवधारणा : एक तुलनात्मक अध्ययन	490.00
पादपों में कीट प्रतिरोध और समेकित कीट प्रबंधन	367.00
स्वतंत्रता-पूर्व हिंदी में विज्ञान लेखन	176.00
भेड़ बकरियों के रोग एवं उनका नियंत्रण	343.00
भविष्य की आशा : हिंद महासागर	154.00
भारतीय कृषि का विकास	155.00
विकास मनोविज्ञान भाग-1	40.00
विकास मनोविज्ञान भाग-2	30.00
कृषिजन्य दुर्घटनाएँ	25.00
इलेक्ट्रॉनिक मापन	31.00
वनस्पतिविज्ञान पाठमाला	16.00
इस्पात परिचय	146.00

जैव-प्रौद्योगिकी : अनुसंधान एवं विकास	134.00
विश्व के प्रमुख दार्शनिक	433.00
प्राकृतिक खेती	167.00
हिंदी विज्ञान पत्रकारिता : कल, आज और कल	167.00
मानसून पवन : भारतीय जलवायु का आधार	112.00
हिंदी में स्वतंत्रता परवर्ती विज्ञान लेखन	280.00
पृथ्वी : उद्भव और विकास	86.00
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी	90.00
पृथ्वी से पुरातत्व	40.00
द्रवचालित मशीन	66.50
भारत के सात आश्चर्य	335.00
पादप सुरक्षा के विविध आयाम	360.00
पादप प्रवर्धन एवं पौधशाला प्रबंधन	403.00

पत्रिकाएँ (त्रैमासिक)

1. विज्ञान गरिमा सिंधु
2. ज्ञान गरिमा सिंधु

सदस्यता शुल्क (उपर्युक्त दोनों के लिए)

सदस्यता शुल्क	भारतीय मुद्रा	विदेशी मुद्रा	
व्यक्तियों/संस्थाओं के लिए प्रति कापी	रु. 14/-	पौंड 1.64	डालर 4.84
वार्षिक शुल्क	रु. 50/-	पौंड 5.83	डालर 18.00
छात्रों के लिए			
प्रति कॉपी	रु. 8/-	पौंड 0.93	डालर 10.80
वार्षिक शुल्क	रु. 30/-	पौंड 3.50	डालर 2.88

***

बिक्री संबंधी नियम

1. आयोग के प्रकाशन, आयोग के बिक्री पटल तथा भारत सरकार के प्रकाशन विभाग के विभिन्न बिक्री पटलों पर उपलब्ध रहते हैं।
2. सभी प्रकाशनों की खरीद पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाती है। कुछ पुराने प्रकाशनों पर 75 प्रतिशत तक भी छूट दी जाती है।
3. सभी तरह के आदेशों की प्राप्ति पर आयोग द्वारा इनवाइस जारी किया जाता है। अपेक्षित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट या मनीऑर्डर अध्यक्ष, वैज्ञानिक शब्दावली आयोग, नई दिल्ली (Chairman, C.S.T.T., New Delhi) के नाम देय होना चाहिए। चेक स्वीकार्य नहीं होगा। अपेक्षित धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् ही पुस्तकें भेजी जाती हैं।
4. चार किलोग्राम वजन तक की सभी पुस्तकें सामान्य डाक/अपंजीकृत पार्सल से भेजी जाती हैं। पुस्तकें भेजने पर पैकिंग तथा फॉर्वर्डिंग चार्ज नहीं लिया जाता है।
5. चार किलोग्राम से अधिक की सभी पुस्तकें सड़क परिवहन से भेजी जाती हैं तथा इन पर आने वाले सभी परिवहन-व्ययों का भुगतान मांगकर्ता द्वारा ही किया जाएगा।
6. पुस्तकें रोड ट्रांसपोर्ट से भेजने के बाद आयोग द्वारा मूल बिल्टी तत्काल पंजीकृत डाक से मांगकर्ता को भेज दी जाती है। यदि निर्धारित अवधि में पुस्तकों को ट्रांसपोर्ट कार्यालय से प्राप्त न किया गया तो उस स्थिति में लगने वाले सभी तरह के अतिरिक्त प्रभारों का भुगतान मांगकर्ता को ही करना होगा।
7. सड़क परिवहन से भेजी जाने वाली पुस्तकों पर न्यूनतम वजन का प्रभार अवश्य लगता है जो प्रत्येक दूरी के लिए अलग-अलग होता है। यदि संबंधित संस्था चाहे तो आयोग में सीधे ही भुगतान करके स्वयं पुस्तकें प्राप्त कर सकती है।
8. दिल्ली तथा उसके नजदीक के क्षेत्रों के आदेशों की पूर्ति डाक द्वारा संभव नहीं होगी। संबंधित संस्था को आयोग के बिक्री एकक में आवश्यक भुगतान करके पुस्तकें प्राप्त करनी होंगी।

9. पुस्तकों की पैंकिंग करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मांगकर्ता को सभी पुस्तकें अच्छी स्थिति में प्राप्त हों। पुस्तकें सामान्य डाक/अपंजीकृत पार्सल/रोड ट्रांसपोर्ट से भेजी जाती हैं। यदि परिवहन में पुस्तकों को किसी भी तरह का नुकसान पहुँचता है तो उसका दायित्व आयोग पर नहीं होगा।
10. सामान्यत: बिल कटने के बाद आदेश में बदलाव या पुस्तकों की वापसी नहीं होगी। यदि क्रय राशि का समायोजन आवश्यक होगा तो राशि वापस नहीं की जाएगी। इस स्थिति में अन्य पुस्तकें ही दी जाएंगी।
11. प्रकाशन विभाग, भारत सरकार के बिक्री केंद्रों की सूची -
    1. किताब महल, प्रकाशन विभाग
       बाबा खड्ग सिंह मार्ग, स्टेट एंपोरियम बिल्डिंग
       यूनिट नं. 21, नई दिल्ली-110001
    2. बिक्री पटल, प्रकाशन विभाग
       उद्योग भवन, गेट नं.-3, नई दिल्ली-110001
    3. बिक्री पटल, प्रकाशन विभाग
       सी. जी. ओ. कॉम्प्लेक्स, न्यू मेरीन लाइन्स
       मुंबई-400020
    4. बिक्री पटल, प्रकाशन विभाग
       दिल्ली उच्च न्यायालय, (लॉयर चैंबर)
       नई दिल्ली-110003
    5. पुस्तक डिपो, प्रकाशन विभाग
       के. एस. राय मार्ग, कोलकाता-700001
12. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें -
    प्रभारी अधिकारी (बिक्री)
    वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
    (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)
    पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम
    नई दिल्ली-110066

***

MGIPRRND—5270 HRD/13—1000 Copies.

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) भारत सरकार

Commission for Scientific and Technical Terminology

Ministry of Human Resource Development

(Department of Higher Education)

Government of India